بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

अल्लाह के अतिरिक्त कोई उपासना के योग्य नहीं मुहम्मद[स०] अल्लाह के रसूल हैं।

Vol - 25
Issue - 03

राह-ए-ईमान

मार्च
2023 ई०

ज्ञान और कर्म का इस्लामी दर्पण

सम्पादक
फ़रहत अहमद आचार्य

उप सम्पादक
सय्यद मुहियुद्दीन फ़रीद M.A.
इब्नुल मेहदी लईक M.A.

संपादक - मंडल
फज़ल नासिर

सेटिंग
फ़रहत अहमद आचार्य

टाइटल डिज़ाइन
इब्नुल मेहदी लईक M.A.

मैनेजर
अतहर अहमद शमीम M.A.

कार्यालय प्रभार
सय्यद हारिस अहमद

विषय सूचि

1. पवित्र क़ुरआन.. 2
2. पवित्र हदीस 2
3. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अमृतवाणी................................ 3
4. रूहानी ख़ज़ायन (एक ईसाई के तीन सवाल और उनके जवाब पृष्ठ)...............4
5. सम्पादकीय 6
6. सारांश ख़ुत्बः जुम्अः (दिनांक 27.1.2023)...8
7. हुज़ूर अनवर से पूछे जाने वाले महत्त्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर.........................12
8. सिलसिला अहमदिया (अर्थात अहमदियत का परिचय) जिल्द-1...............24
9. वह, जिस पे रात सितारे लिए उतरती है (5) 28
10. सामान्य ज्ञान/जनरल नॉलेज 30
11. पत्रिका के बारे में कृपया अपना फीडबैक (प्रतिक्रिया) अवश्य दें.............32

☆ ☆ ☆

पत्र व्यवहार के लिए पता :-
सम्पादक राह-ए-ईमान, मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत,
क़ादियान - 143516 ज़िला गुरदासपुर, पंजाब।
Editor Rah-e-Iman, Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bharat,
Qadian - 143516, Distt. Gurdaspur (Pb.)
Fax No. 01872 - 220139, **Email : rahe.imaan@gmail.com**
Editor- 9115040806, Manager- 9815639670

लेखकों के विचार से अहमदिया मुस्लिम जमाअत का सहमत होना ज़रूरी नहीं

वार्षिक मूल्य: 130 रुपए

Printed & Published by Shoaib Ahmad M.A. and owned by Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bharat Qadian and Printed at Fazle Umar Printing Press, Harchowal Road, Qadian Distt. Gurdaspur 143516, Punjab, INDIA and Published at Office Majlis Khuddamul Ahmadiyya Bharat, P.O. Qadian, Distt. Gurdaspour 143516 Punjab iNDIA. Editor Farhat Ahmad

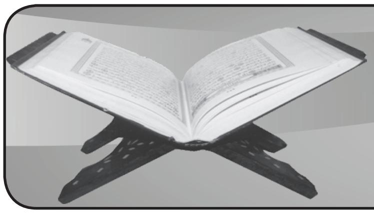

पवित्र क़ुरआन

(अल्लाह तआला के कथन)

عَسٰی رَبُّکُمۡ اَنۡ یَّرۡحَمَکُمۡ ۚ وَاِنۡ عُدۡتُّمۡ عُدۡنَا ۘ وَجَعَلۡنَا جَہَنَّمَ لِلۡکٰفِرِیۡنَ حَصِیۡرًا ﴿۹﴾ اِنَّ ہٰذَا الۡقُرۡاٰنَ
یَہۡدِیۡ لِلَّتِیۡ ہِیَ اَقۡوَمُ وَیُبَشِّرُ الۡمُؤۡمِنِیۡنَ الَّذِیۡنَ یَعۡمَلُوۡنَ الصّٰلِحٰتِ اَنَّ لَہُمۡ اَجۡرًا کَبِیۡرًا ۔

अनुवाद:- अब भी सम्भव है कि तुम्हारा रब्ब तुम पर दया करे और यदि तुम फिर अपने अनुचित आचरम की ओर झुकोगे तो हम भी दण्ड देने की ओर लौटेंगे और (याद रखो कि) नरक को हम ने इन्कार करने वालों के लिए कारावास बनाया है। निस्सन्देह यह क़ुर्आन उस पथ का पथप्रदर्शक है जो सब से ज़्यादा अच्छा है और उन मोमिन लोगों को जो परिस्थिति के अनुकूल कर्म करते हैं शुभ-समाचार देता है कि उन के लिए बहुत बड़ा प्रतिफल निश्चित है। (बनी इसराईल - 9, 10)

पवित्र हदीस

(हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथन)

अनुवाद: हज़रत मुआज़ बिन जबल अपने कबीले में नमाज़ पढ़ाया करते थे। एक सहाबी जिस का नाम हज़ाम था। वह आया उसका इरादा अपने नख़लिस्तान (बाग़) को पानी देना था। लेकिन पहले नमाज़ पढ़ना चाहता था। इसलिए वह मस्जिद में आया और लोगों के साथ नमाज़ में शामिल हो गया। लेकिन मुआज़ जो नमाज़ पढ़ रहे थे नमाज़ लंबी कर दी (हज़ाम को जल्दी थी) इसलिए ख़ुद ही नमाज़ कम करके पढ़ ली और अपने बगीचे में जाकर पानी देने लगा। मुआज़ ने जब नमाज़ खत्म की तो उन्हें बताया गया कि हज़ाम ने क्या हरकत की है। मुआज़ ने कहा वह मुनाफिक है अपने बाग़ीचे में पानी देने के लिए नमाज़ इस तरह जल्दी से पढ़ता है (यह कैसी नमाज़ है) हज़ाम को जब यह पता चला तो वह हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की सेवा में हाज़िर हुआ। मुआज़ भी वहीं आपके पास बैठे थे। हज़ाम ने निवेदन किया हुज़ूर मेरा इरादा अपने बग़ीचे को पानी देने का था लेकिन चूंकि नमाज़ का समय था इसलिए नमाज़ जमाअत के पढ़ने के लिए मस्जिद आया (ताकि पहले नमाज़ पढ़ लूँ फिर बगीचे को पानी दूंगा) जब मुआज़ ने नमाज़ बहुत लंबी कर दी तो मैंने ख़ुद ही नमाज़ छोटी करके पढ़ ली। इस पर मुआज़ ने मुझे ताना दिया कि मैं मुनाफ़िक़ हूँ। हुज़ूर ने हज़ाम की यह शिकायत सुनकर मुआज़ की ओर ध्यान दिया और कहा। क्या तुम लोगों को फित्ने में डालते हो ? अपनी नाराज़गी व्यक्त करते हुए दो बार ऐसा फरमाया फिर कहा कि छोटी सूरतें जैसे 'सब्बेहिस्म रब्बेकल् आला' या 'वस्शम्से वज़ुहाहा' पढ़ा करो (नमाज़ को लंबा न कि या करो) (मसनद अहमद जि लद 3 पृष्ठ 124)

☆ ☆ ☆

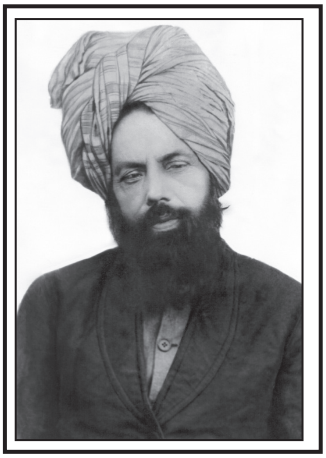

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की अमृतवाणी

हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :-

सहाबा से मिला जब मुझको पाया

"मैं बार बार कह चुका हूं कि जितना कोई व्यक्ति सानिध्य प्राप्त करता है उतना ही वह मुआख्ज़ा (हिसाब-किताब) के योग्य है। अहले बैअत अधिक मुआख्ज़ा के योग्य हैं। वह लोग जो दूर हैं वह मुआख्ज़ा के योग्य नहीं परंतु तुम अवश्य हो, अगर तुम्हारे अंदर उनकी अपेक्षा कोई ईमानी अधिकता नहीं तो तुम में और उन में क्या अंतर हुआ?तुम हज़ारों की नज़रों के सामने हो। वह लोग गवर्नमेंट के जासूसों की तरह तुम्हारी हर हरकत को देख रहे हैं। वह सच्चे हैं.... जब कोई व्यक्ति मुझसे संबंध नहीं रखता तो यह अलग बात है लेकिन जब आप मेरे पास आए, मेरे दावे को स्वीकार किया और मुझे मसीह माना तो मानो एक प्रकार से आपने सहाबा किराम के बराबर होने का दावा कर दिया। तो क्या सहाबा ने कभी सच्चाई और वफादारी के मार्ग पर चलने में लापरवाही की? उनमें कोई सुस्ती थी? क्या वह दिल दुखाते थे? क्या उनके अपने जज्बात पर काबू नहीं था? क्या वह विनम्र स्वभाव नहीं थे? बल्कि उनमें अत्यंत श्रेणी के विनम्र थे। अत: दुआ करो अल्लाह तआला तुमको भी वैसा ही सामर्थ्य प्रदान करे क्योंकि विनम्रता का जीवन कोई व्यक्ति अपना नहीं सकता जब तक कि अल्लाह तआला उसकी सहायता न करे। अपने आप को टटोलो और अगर बच्चे की तरह अपने आप को कमज़ोर पाओ तो घबराओ नहीं। "इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम" की दुआ सहाबा की तरह जारी रखो। रातों को उठो और दुआ करो। अल्लाह तआला तुमको अपना रास्ता दिखाए। आंहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के सहाबा ने भी धीरे-धीरे तरबीयत पाई थी। वह पहले क्या थे एक किसान के बीज बोने की तरह थे। फिर आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी सिंचाई की, आपने उनके लिए दुआएं कीं। बीज सही था और ज़मीन अच्छी तो उस सिंचाई से अच्छा फल लगा। जिस प्रकार हुज़ूर चलते उसी तरह वह चलते, वह दिन या रात की प्रतीक्षा न करते थे। तुम लोग सच्चे दिल से तौबा करो, तहज्जुद में उठो, दुआ करो, दिल को सीधा करो, कमजोरियों को छोड़ दो और ख़ुदा तआला की रज़ामंदी के अनुसार अपनी करनी और कथनी को बनाओ। निसंदेह विश्वास रखो कि जो इस नसीहत को विर्द बनाएगा वह और दुआ करेगा और अमली तौर पर प्रार्थना ख़ुदा के सामने करेगा अल्लाह तआला उस पर कृपा करेगा और उसके दिल में परिवर्तन पैदा होगा। ख़ुदा तआला से नाउम्मीद मत हो।

कुछ लोग कहते हैं कि हमको क्या कोई वली बनना है? अफसोस उन्होंने कुछ कदर न की। बेशक इंसान ने ख़ुदा का वली बनना है। अगर वह सीधे रास्ते पर चलेगा तो ख़ुदा भी उसकी ओर चलेगा और फिर एक जगह पर उसकी मुलाकात होगी। उसकी तरफ हरकत चाहे धीरे होगी लेकिन उसके मुक़ाबले ख़ुदा तआला की हरकत बहुत जल्दी होगी।" (मल्फूज़ात जिल्द-1 पृष्ठ 44-45)

रूहानी ख़ज़ाइन

पुस्तक: एक ईसाई के तीन सवाल और उनके जवाब

(हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम द्वारा लिखित)

"इसके अतिरिक्त कुछ चमत्कार और भविष्यवाणियाँ पवित्र क़ुर्आन की ऐसी हैं कि वे हमारे लिए भी इस युग में देखी हुई और महसूस की हुई का आदेश रखती हैं और कोई उनसे इन्कार नहीं कर सकता अत: वे यह हैं –

(1) अज़ाब के निशान का चमत्कार जो उस समय के काफ़िरों को दिखाया गया था यह हमारे लिए भी वास्तव में ऐसा ही निशान है जिसको चश्मदीद कहना चाहिए। कारण यह कि अत्यन्त निश्चित मुक़द्दमों का एक आवश्यक प्रणाम है जिस से कोई सहमत और विरोधी किसी प्रकार से इन्कार नहीं कर सकता। प्रथम यह मुक़द्दमा जो चमत्कार की बुनियाद के तौर पर है नितांत स्पष्ट और मान्य सबूत है कि यह अज़ाब का निशान उस समय माँगा गया था कि जब आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आप के कुछ साथी मक्के में सत्य के प्रचार के कारण स्वयं सैकड़ों कष्टों, पीड़ाओं और दुखों में ग्रस्त थे तथा इस्लाम धर्म के लिए वे दिन ऐसे कमज़ोरी के दिन थे कि स्वयं मक्का के काफ़िर हंसी ठठ्ठा करते हुए मुसलमानों को कहा करते थे कि यदि तुम सत्य पर हो तो तुम्हें हमारे हाथ से इतना अज़ाब, संकट, दु:ख और पीड़ा क्यों पहुँच रही है और वह ख़ुदा जिस पर तुम भरोसा करते हो वह क्यों तुम्हारी सहायता नहीं करता और क्यों तुम एक थोड़ी जमाअत हो जो शीघ्र ही मिट जाने वाली है और यदि तुम सच्चे हो तो क्यों हम पर अज़ाब नहीं उतरता? इन प्रश्नों के उत्तर में जो कुछ काफ़िरों को पवित्र क़ुर्आन के विभिन्न स्थानों में तंगी और कष्टों में कहा गया वह दूसरा मुक़द्दमा इस भविष्यवाणी की महान प्रतिष्ठा समझने के लिए है क्योंकि वह युग आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और उन के सहाबा पर ऐसा संवेदनशील युग था कि हर समय अपने प्राणों का भय था और चारों ओर असफलता मुंह दिखा रही थी तो ऐसे युग में काफ़िरों को उन से अज़ाब का निशान मांगने के समय स्पष्ट तौर पर यह कहा गया था कि शीघ्र ही तुम को इस्लाम की विजय और तुम्हारे दण्डित होने का निशान दिखलाया जायेगा और इस्लाम जो अब एक बीज की तरह दिखाई देता है किसी दिन एक बड़े वृक्ष के समान स्वयं को व्यक्त करेगा और वे जो अज़ाब का निशान मांगते हैं वे तलवार की धार से क़त्ल किए जायेंगे और समस्त अरब प्रायद्वीप कुफ़्र और काफ़िरों से साफ़ किया जायेगा और समस्त अरब की हुकूमत मोमिनों के हाथ में आ जाएगी और ख़ुदा तआला इस्लाम धर्म को अरब के देश में इस प्रकार से जमा देगा कि फिर मूर्ति पूजा कभी पैदा नहीं होगी और वर्तमान हालत जो भय की हालत है पूर्णतया अमन के साथ बदल जाएगी तथा इस्लाम शक्ति पकड़ेगा और विजयी होता चला जायेगा। यहाँ तक कि दूसरे देशों तक अपनी सहायता और विजय का साया डालेगा और दूर-दूर तक

उसकी विजयें फैल जाएँगी और एक बड़ी बादशाहत स्थापित हो जाएगी जिसका दुनिया के अन्त तक पतन नहीं होगा।

अब जो व्यक्ति पहले इन दोनों मुक़द्दमों पर दृष्टि डाल कर मालूम कर ले कि वह युग जिसमें यह भविष्यवाणी की गई इस्लाम के लिए कैसी तंगी, असफलता और संकट का युग था तथा जो भविष्यवाणी की गई वह वर्तमान हालत से कितनी विपरीत और विचार और अनुमान से अत्यन्त दूर अपितु स्पष्ट असंभव बातों में से दिखाई देती थी। तत्पश्चात इस्लाम के इतिहास पर जो दुश्मनों और दोस्तों के हाथ में मौजूद है एक न्यायपूर्ण दृष्टि डालें कि कैसी सफ़ाई से यह भविष्यवाणी पूरी हो गई और दिलों पर इस का भयानक प्रभाव पड़ा और कैसे पूरब और पश्चिम में समस्त शक्ति और ताक़त के साथ उसका प्रकटन हुआ तो इस भविष्यवाणी को निश्चित और अटल तौर पर चश्मदीद चमत्कार ठहराएगा जिसमें उसको एक कण भर भी सन्देह और शंका नहीं होगी।

फिर पवित्र क़ुर्आन का दूसरा चमत्कार जो हमारे लिए देखा हुआ और महसूस सा आदेश रखता है वे अद्भुत परिवर्तन हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा में पवित्र क़ुर्आन के अनुकरण की बरकत तथा आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की संगत के प्रभाव से प्रकटन में आईं। जब हम इस बात को देखते हैं वे लोग इस्लाम में सम्मानित होने से पहले किस तरीके और आदत के आदमी थे और फिर आंहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की संगत से सम्मानित और पवित्र क़ुर्आन के अनुकरण से किस रंग में आ गए और कैसे शिष्टाचार में, आस्थाओं में, चलन में, वार्तालाप में, रफ़्तार में, चरित्र में और अपनी समस्त आदतों में बुरी हालत से परिवर्तित होकर नितांत शुद्ध और पवित्र हालत में दाख़िल किए गए तो हमें इस महान प्रभाव को देखकर जिसने उनके ज़ंग खाए हुए अस्तित्वों को एक विचित्र ताज़गी और प्रकाश और चमक प्रदान कर दी थी इक़रार करना पड़ता है कि यह परिवर्तन एक विलक्षण परिवर्तन था जो विशेष तौर पर ख़ुदा तआला के हाथ ने किया। पवित्र क़ुर्आन में ख़ुदा तआला फ़रमाता है कि मैंने उनको मुर्दा पाया और ज़िन्दा किया और नर्क के गढ़े में गिरते देखा तो उस भयानक और भयंकर हालत से छुड़ाया, बीमार पाया और उन्हें अच्छा किया, अन्धकार में पाया और उन्हें प्रकाश प्रदान किया। और ख़ुदा तआला ने इस चमत्कार के दिखाने के लिए एक ओर अरब के लोगों की वे ख़राब हालतें लिखी हैं जो वे इस्लाम से पहले रखते थे तथा दूसरी ओर उनकी वे पवित्र हालतें वर्णन की हैं जो इस्लाम लाने के बाद उनमें पैदा हो गई थीं ताकि जो व्यक्ति जो उन पहली हालतों को देखे जो कुफ़्र के युग में थीं फिर इसकी तुलना में वह हालत पढ़े जो इस्लाम लाने के बाद प्रकटन में आईं तो इन दोनों प्रकार के जीवन चरित्र पर अवगत होने से पूर्ण विश्वास से समझ लेगा कि यह परिवर्तन एक विलक्षण परिवर्तन है जिसे चमत्कार कहना चाहिए।

(एक ईसाई के तीन सवाल और उनके जवाब- 33-37)

☆ ☆ ☆

सम्पादकीय

रमज़ान का महीना और रोज़े

"रमज़ान का असल उद्देश्य यह है कि इस माह में इन्सान ख़ुदा ताला के लिए हर एक चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हो जाये।"

हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हो ने फ़रमाया कि शाबान के आख़िरी दिन हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने एक ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया जिसमें ये खुशखबरी दी कि

‘‘कल से तुम पर एक अज़ीम महीना का उदय हो रहा है इस महीना में एक रात ऐसी आती है जो हज़ार महीनों से बढ़कर होती है। अल्लाह ताला ने इस माह के रोज़े फ़र्ज़ क़रार दिए हैं। इस माह की रातों में तहज्जुद के लिए उठना बहुत बड़ी नेकी है। इस माह के दौरान जो शख़्स भी कोई नफ़ली काम करता है उसे इतना सवाब मिलता है जितना कि दीगर महीनों में फ़र्ज़ अदा करने से मिलता है और फ़र्ज़ का सवाब तो इस माह में सत्तर गुना ज़्यादा हो जाता है।

ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। फिर ये परस्पर हमदर्दी का महीना है। इस माह में मोमिन के रिज़्क़ में बढ़ोतरी की जाती है। जो शख़्स इस महीना में किसी रोज़ादार का रोज़ा इफ़तार करवाता है उसे गुनाहों से मग़फ़िरत हासिल होती है और उस की गर्दन आग से आज़ाद की जाती है और रोज़ादार के सवाब में किसी किस्म की कमी किए बग़ैर रोज़ा इफ़तार कराने वाले को भी वैसा ही सवाब मिलता है।"

अरकान-ए-इस्लाम पाँच हैं-

1- कलिमा तय्यबा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह

2- नमाज़ क़ायम करना

3- रमज़ान के रोज़े रखना

4- ज़कात अदा करना और

5- बैतुल्लाह (खाना काबा) का हज करना

रमज़ान के रोज़े हर ऐसे मुसलमान पर फ़र्ज़ हैं जो बलूग़त (वयस्कता) की उम्र को पहुंच चुके हों। बीमार और मुसाफ़िर न हों और स्त्रियाँ महामारी से ग्रस्त न हों। लेकिन उन्हें माफ़ नहीं हैं उनके लिए हुक्म है कि वह बाद में अपने रोज़े पूरे करें अलबत्ता ऐसे कमज़ोर, स्थाई बीमार और ऐसी बच्चों को दूध पिलाने वाली और गर्भवती महिलाएं इत्यादि ये सामर्थ्य अनुसार रोज़ों के बदला में फ़िद्या अदा कर सकते हैं।

अल्लाह ताला के फ़ज़ल के साथ रमज़ान उल-मुबारक अपनी तमाम बरकतों और रहमतों के साथ शुरू हो रहा है। रमज़ान के रोज़े क़मरी (चाँद के महीने के) हिसाब से रखे जाते हैं। चुनांचे ये साल के मुख़्तलिफ़ मौसमों में आते रहते हैं। इमसाल ये मौसम-ए-बिहार में आ रहे हैं। ये महीना रूहानियत का भी मौसम-ए-बहार है। रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं और अल्लाह ने क़ुरआन-ए-करीम में इसका आदेश दिया है। अत: हर मुसलमान को रोज़े ज़रूर रखने चाहिए।

(फ़रहत अहमद आचार्य)

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की काव्य रचना

भूकंप के बारे में भविष्यवाणी

दोस्तो ! जागो के अब फिर ज़लज़ला आने को है
फिर ख़ुदा क़ुदरत को अपनी जल्द दिखलाने को है
वह जो माहे फ़रवरी में तुम ने देखा ज़लज़ला
तुम यक़ीं समझो के वह इक ज़ज्र समझाने को है
आँख के पानी से यारो ! कुछ करो इसका इलाज
आसमाँ ए ग़ाफ़िलो अब आग बरसाने को है
क्यों न आवें ज़लज़ले तक़्वा की रह गुम हो गई
इक मुसलमाँ भी मुसलमाँ सिर्फ कहलाने को है
किस ने माना मुझ को डर कर किस ने छोड़ा बुग़ज़ो कीं
ज़िन्दगी अपनी तो उन से गालियाँ खाने को है
काफ़िरो दज्जाल और फ़ासिक हमें सब कहते हैं
कौन ईमाँ सिद्क़ और इख़्लास से लाने को है
जिसको देखो बदगुमानी में ही हद से बढ़ गया
गर कोई पूछे तो सौ सौ ऐब बतलाने को है
छोड़ते हैं दीं को और दुनिया से करते हैं प्यार
सौ करें वाअज़ो नसीहत कौन पछताने को है
हाथ से जाता है दिल, दीं की मुसीबत देख कर
पर ख़ुदा का हाथ अब इस दिल को ठहराने को है
इसलिए अब ग़ैरत उस की कुछ तुम्हें दिखलाएगी
हर तरफ़ ये आफ़त-ए-जाँ हाथ फैलाने को है
मौत की रह से मिलेगी अब तो दीं को कुछ मदद
वरना दीं ए दोस्तो ! इक रोज़ मर जाने को है
या तो इक आलम था क़ुर्बां उस पे या आए ये दिन
एक अब्दुल अब्द भी इस दीं के झुठलाने को है

(पुस्तक चश्म-ए-मसीही)

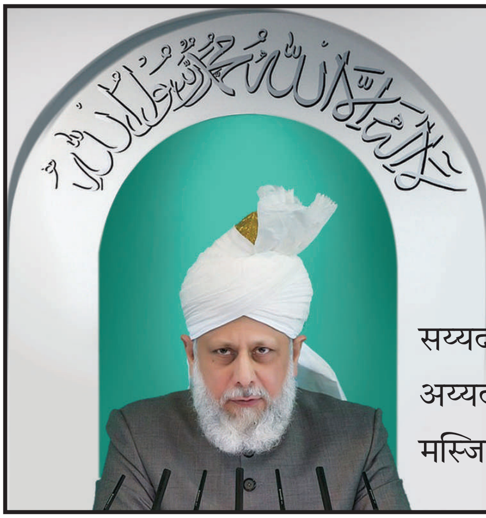

सारांश ख़ुत्बः जुम्अः

सय्यदना हज़रत अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़, दिनांक- 24.2.2023 मस्जिद मुबारक, इस्लामाबाद, टिलफोर्ड बर्तानिया

निश्छलता एवं आज्ञाकारिता की मूरत
कुछ बदरी सहाबियों के पवित्र जीवन चरित्र का वर्णन

तशह्हुद तअव्वुज़ तथा सूर: फ़ातिहा की तिलावत के बाद हुज़ूर-ए-अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने फ़रमाया:-

बदरी सहाबी जिनका वर्णन पहले हो चुका है उनके हवाले से कुछ बातों पर चर्चा रह गई थी जो बयान कर रहा था, उसके संदर्भ में आज भी बयान करूँगा जिसके बाद बदरी सहाबियों के बारे में यह सिलसिला जो मैं बयान करना चाहता था, वह समाप्त हो जाएगा।

हज़रत आमिर बिन रबीअ: रज़ी. के बारे में लिखा है कि आप रज़ी. के पिता जी का नाम रबीअ: बिन कअब बिन मालिक बिन रबीअ: था। आप रज़ी. से कुछ रिवायतें भी मिलती हैं। अब्दुल्लाह बिन आमिर रबीअ: रज़ी. अपनी माती जी हज़रत उम्मे अब्दुल्लाह लैला सुपुत्री अबू हशमा रज़ी. से रिवायत करते हैं कि वे बयान करती हैं कि हम हबशा की ओर जाने वाले थे और आमिर बिन रबीअ: रज़ी. किसी काम के लिए कहीं गए हुए थे कि हज़रत उमर रज़ी. जो कि अभी शिर्क वाली अवस्था में थे, वहाँ आ निकले। उन्होंने हमसे पूछा कि क्या रवानगी है? मैंने कहा हाँ, अल्लाह की क़सम। हम अल्लाह की धरती में जाते हैं यहाँ तक कि अल्लाह हमारे लिए सरलता पैदा कर दे। तुम लोगों ने हमें बड़ा कष्ट दिया तथा हम पर बड़े अत्याचार किए हैं। हज़रत उमर रज़ी. ने कहा कि अल्लाह तुम्हारा रक्षक हो! वे कहती हैं कि मैंने उस दिन हज़रत उमर रज़ी. की वाणी में वह दु:ख अनुभव किया जो पहले कभी न देखा था। हमारे विस्थापन करने ने उन्हें दुखी कर दिया था। हज़रत आमिर रज़ी. जब वापस आए तो मैंने उनसे कहा कि क्या आप रज़ी. ने अभी उमर रज़ी. तथा उनके दु:ख को देखा। हज़रत आमिर रज़ी. ने जवाब दिया कि क्या तू उनके मुसलमान होने की सूचना मिलने की इच्छुक है? फिर उन्होंने कहा कि $खत्ताब का गधा मुसलमान हो सकता है किन्तु वह व्यक्ति इस्लाम नहीं ला सकता। हज़रत लैला कहती हैं कि आमिर रज़ी. ने यह बात उस निराशा के कारण कही थी जो उनको हज़रत उमर

रज़ी. के इस्लाम विरोध तथा कठोरता के कारण पैदा हो गई थी।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ी. बयान करते हैं कि उनके वालिद हज़रत आमिर बिन रबीअ: रज़ी. ने बताया कि जब आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें किसी युद्ध अभियान में रवाना फ़रमाते थे तो हमारे पास यात्रा में जीवित रहने की सामग्री केवल खजूर का एक थैला होती थी। सेना के मुख्या हमारे बीच एक मुट्ठी भर खजूर बाँट देते थे, धीरे धीरे वह समाप्त हो जाती तो फिर एक खजूर एक आदमी को मिला करती थी। अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैंने वालिद से पूछा कि एक खजूर से कैसे गुज़ारा होता होगा? उन्होंने कहा कि ऐसा न कहो, क्यूँकि उसका महत्त्व हमें समय पता चलता जब हमारे पास वह भी न होती।

जब हज़रत उमर रज़ी. ने अपनी ख़िलाफ़त के दौर में खैबर के इलाक़े से यहूदियों को निकाल दिया तो क़ुरा नामक घाटी की ज़मीनें आपने जिन लोगों में आवंटित कीं उनमें हज़रत आमिर बिन रबीअ: रज़ी. भी थे। हज़रत उमर रज़ी. जब जाबिया तशरीफ़ ले गए तो हज़रत आमिर रज़ी. साथ थे। एक रिवायत के अनुसार हज़रत उमर रज़ी. का झंडा हज़रत आमिर रज़ी. के पास था। हज़रत आमिर बिन रबीअ: के देहान्त के विषय में मतभेद पाया जाता है परन्तु अल्लामा इब्ने असाकर के अनुसार ३२ हिजरी वाला कथन अधिक उपयुक्त लगता है। आप रज़ी. के निधन के बारे में रिवायत है कि हज़रत उसमान रज़ी. की शहादत के बाद आप रज़ी. अपने घर में रहा करते थे, यहाँ तक कि आपका जनाज़ा घर से निकला।

हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर रज़ी. अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक व्यक्ति ने बनू फ़ज़ारह की एक महिला से दो जूते मेहर के बदले निकाह कर लिया। आँहुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को वैध कहा। अपने वालिद से ही रिवायत करते हैं कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप स. ने यात्रा में अपनी ऊँटनी की पीठ पर रात को नफ़ल पढ़े और आप स. का मुंह उसी ओर था जिस ओर ऊँटनी जा रही थी।

हज़रत आमिर बिन रबीअ: रज़ी. बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक अंधेरी रात में यात्रा पर था। जब एक स्थान पर उतरे तो एक व्यक्ति ने पत्थर एकत्र किए तथा नमाज़ के लिए जगह बनाई तथा नमाज़ पढ़ी। सुबह को पता चला कि हमारा मुंह $किबले से विरीत दिशा में था। हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई-

وَلِلهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ

अर्थात- और अल्लाह ही का है पूरब भी तथा पश्चिम भी, अत: जिस ओर भी तुम मुंह फेर दो वहीं $खुदा का जलवा पाओगे। अर्थात नासमझी में यदि ऐसा हो गया तो कोई चिंता की बात नहीं है। हुज़ूर-ए-अनवर ने स्पष्ट किया कि यह भी हो सकता है कि यह आयत आँहज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाने के लिए पढ़ कर सुनाई हो, आवश्यक नहीं कि उसी समय अवतरित हुई हो।

हज़रत आमिर बिन रबीअ: रज़ी. बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो मुझ पर एक बार दरूद भेजता है, अल्लाह उस पर दस बार सलामती भेजता है। अत: अब तुम्हारी इच्छा है कि मुझ पर कम दरूद भेजो अथवा अधिक दरूद भेजो। एब अन्य रिवायत में है कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो बन्दा मुझ पर सलामती की दुआ करता है और जब तक वह उस अवस्था में रहता है, फ़रिश्ते भी उस पर सलामती की दुआ करते हैं। अत: बन्दे के अधिकार में है कि चाहे तो अधिक बार सलामती की दुआ करे और चाहे तो कम।

अगला वर्णन है हज़रत हराम बिन मलहान रज़ी. का। हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ी. सहाबियों के बलिदानों के संदर्भ में बयान करते हैं कि हमें इतिहास पढऩे से ज्ञात होता है कि सहाबी युद्धों में इस प्रकार जाया करते थे कि उनको यूँ लगता था कि युद्ध में शहीद होना उनके लिए सम्पूर्ण शांति एवं $ख़ुशी का कारण है। अत: सहाबियों की प्राय: इस प्रकार की घटनाएँ इतिहास में मिलती हैं कि उन्होंने $ख़ुदा की राह में मारे जाने को ही अपने लिए पूर्णत: शांति अनुभव किया। उदाहरणत: वे हा$फिज़ जो रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के मध्य में एक क़बीले की आरे तबली$ग के लिए भेजे थे उनमें से हराम बिन मलहान रज़ी. इस्लाम के पै$गाम लेकर क़बीला आमिर के मुख्या आमिर बिन तुफ़ैल के पास गए तथा अन्य सहाबी पीछे रहे। आरम्भ में तो आमिर बिन तुफ़ैल तथा उसके साथियों ने पाखंड के रूप में उनकी आओभगत की परन्तु जब वे संतुष्ट होकर बैठ गए तथा तबली$ग करने लगे तो उनमें से कुछ उपद्रवियों ने एक दुष्ट को संकेत किया तथा उसने संकेत पाते ही हराम बिन मलहान रज़ी. पर पीछे से भाले द्वारा हमला किया तथा वे गिर गए और गिरते ही सहसा उनकी ज़बान से यह निकला कि अल्लाहु अकबर فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ अर्थात मुझे कअबा के रब की क़सम, मैं मुक्ति पा गया। फिर उन उपद्रवियों ने शेष सहाबियों को घेर लिया तथा उन पर हमला कर दिया। उस अवसर पर हज़रत अबू बकर रज़ी. के द्वारा स्वतंत्र किए गए $गुलाम आमिर बिन फ़हीरा के सम्बंध में वर्णन मिलता है बल्कि स्वयं उनका हत्यारा जो बाद में मुसलमान हो गया था, वह अपने मुसलमान होने का कारण ही यह बयान करता था कि जब मैंने आमिर बिन फ़हीरा रज़ी. को शहीद किया तो उनके मुंह से सहसा यह निकला कि فزت واللہ अर्थात $ख़ुदा की क़सम मैं तो अपनी मुराद को पहुंच गया हूँ। ये घटनाएँ बताती हैं कि सहाबियों के लिए मौत बजाए कष्ट के $ख़ुशी का कारण होती थी।

अगला वर्णन है हज़रत सअद बिन खौला रज़ी. का। आमिर बिन सअद रज़ी. अपने वालिद सअद बिन वक़्क़ास रज़ी. से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के अवसर पर मेरी बीमारी के बारे में पूछा, बीमारी के कारण मैं मौत तक पहुंच गया था। मैंने कहा कि मेरी पीड़ा आप स. देख रहे हैं। मेरी उत्तराधिकारी मेरी बेटी के अतिरिक्त कोई नहीं। मेरे पूछने पर आप स. ने फ़रमाया कि तीसरा भाग सदक़ा कर दो, फिर फ़रमाया कि उत्तराधिकारियों को उचित अवस्था में छोडऩा, कष्ट में छोडऩे से अच्छा है। अल्लाह की राह में जो भी खर्च करोगे तुम्हें उसका बदला दिया जाएगा, यहाँ तक कि एक निवाला भी जो अपनी पतनी के मुंह में डालो, उसका भी प्रतिफल दिया जाएगा। हज़रत सअद बिन खौला रज़ी. हिजरत के बाद मक्का में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए।

अगला वर्णन है हज़रत अबुल हशीम बिन अत्तैहान रज़ी. का। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निवेदन किया कि मैं सबसे पहले आप स. की बैअत करने वाला हूँ, हम किस तरह आप स. की बैअत करें? आप स. ने फ़रमाया कि मेरी इस बात पर बैअत करो जिस पर बनी इसराईल ने मूसा अलै. की

बैअत की। आप रज़ी. युद्ध में दो तलवारें लटकाया करते थे इस लिए आप रज़ी. को ज़ुस्सैफ़ैन भी कहा जाता है, इन्होंने सिफ़्फ़ीन नामक युद्ध में शहादत पाई थी।

फिर वर्णन है हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी. का। इमाम राज़ी ने लिखा है कि युद्ध की लड़ाई में जो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकट थे उनमें हज़रत आसिम बिन साबित रज़ी. भी शामिल थे।

अगला वर्णन हज़रत सहल बिन हुनीफ़ रज़ी. का है। ओहद की लड़ाई में निकट रहने वालों में हज़रत सहल बिन हुनीफ़ रज़ी. का भी वर्णन है। हज़रत उमैर बिन सईद कहते हैं कि हज़रत अली रज़ी. ने उनके जनाज़े की नमाज़ में पाँच तकबीरें पढ़ीं, लोगों ने आश्चर्य किया तो फ़रमाया कि ये सहल बिन हुनीफ़ हैं जो अह्ले बदर में से हैं तथा अह्ले बदर को अन्य लोगों पर एक विशिष्टता है, मैंने चाहा कि तुम्हें उनकी विशिष्टता बता दूँ।

फिर हज़रत जब्बार बिन सखर रज़ी. का वर्णन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को डेढ़ सौ सहाबियों के साथ बनूते नामक स्थान के बुत फ़ुलुस को गिराने के लिए भेजा। आप स. ने हज़रत अली रज़ी. को काले रंग का झंडा तथा सफ़ेद रंग का छोटा परचम प्रदान किया। हज़रत अली रज़ी. ने सुबह के समय आले हातिम पर हमला किया तथा उनके फ़ुलुस नामक बुत को नष्ट कर दिया। इस अभियान में झंडा हज़रत जब्बार बिन हज़र रज़ी. के पास था।

हुज़ूरे अनवर ने फ़रमाया- यहाँ यह सहाबियों का जो वर्णन में करना चाहता था, वह समाप्त हुआ। इसके साथ ही मैं पाकिस्तान के अहमदियों के लिए दुआ के लिए कहना चाहता हूँ। दुआ करें अल्लाह तआला उन पर जो कठोर हालात हैं वहाँ आसानियाँ पैदा करे तथा न्याय करने वालों, क़ानून का पालन करने वालों तथा $खुदा एवं उसके रसूल के नाम पर अत्याचार करने वालों को अल्लाह तआला बुद्धि दे अथवा उनको पकडऩे की व्यवस्था करे। दूसरे बर्कीना फ़ासो के लिए भी दुआ करें, वहाँ भी यातनाएँ हैं अभी, तथा जो आतंकवादी हैं, कट्टर पंथी हैं, उनकी वही गतिविधियाँ हैं। अल्लाह तथा उसके रसूल के नाम पर अत्याचार कर रहे हैं। फिर अल-जज़ायर के लोगों के लिए भी, वहाँ भी कुछ सरकारी कार्यकर्ता अथवा न्यायालय जो हैं, अनुचित प्रकार के अत्याचारों को जारी रख रही हैं अहमदियों से। अल्लाह तआला सबको अपनी सुरक्षा में रखे, विशेषत: दुआओं तथा दान पर अधिक ज़ोर दें। अल्लाह तआला विरोधियों के उपद्रव से हर एक को बचाए।

अन्त में हुज़ूर पुर नूर ने पाकिस्तान में १९ फ़रवरी को अहमदियत के शत्रुओं द्वारा फ़ायरिंग में शहीद होने वाले मुकर्रम मुहम्मद रशीद साहब शहीद सुपुत्र चौधरी बशारत अहमद साहब तथा ६ फ़रवरी २०२३ को तुर्किया से आए भूचाल में निधन हुए माँ बेटा मुकर्रमा अमानी बसाम अजलावी साहिबा और अज़ीज़म सलाह अब्दुल मुईन क़तीश के अतिरिक्त मुकर्रम मक़सूद अहमद मुनीब साहब मुरब्बी सिलसिला के सद्गुणों का वर्णन फ़रमाते हुए उनके जनाज़े गायब पढ़ाने की घोषणा फ़रमाई। अल्लाह तआला उनसे मगफिरत तथा दया का व्यवहार करे, दर्जे बुलन्द करे।

☆ ☆ ☆

सय्यदना हज़रत अमीरुल मौमिनीन ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर

अनुवादक: सय्यद मुहियुद्दीन फ़रीद M.A.

प्रश्न : ख़ुला प्राप्त करने वाली महिला की इद्दत के बारे में मज्लिस इफ्ता की सिफ़ारिशात हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ की सेवा में पेश होने पर हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ ने इस विषय के फ़िक़्ही पहलू के विषय में अपने पत्र तिथि 21 नवंबर 2017 ई. में निमंलिखित उत्तर अता फ़रमाया। हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया

उत्तर : जहाँ तक इस विषय का फ़िक़्ही पहलू है तो मेरे नज़दीक भी तलाक़ और ख़ुला की इद्दत अलग है। इस बारे में मज्लिस इफ्ता की रिपोर्ट में वर्णन दलायल के अतिरिक्त यह बात भी समक्ष रखनी चाहिए कि जिस तरह तलाक़ और ख़ुला की तफ़सीलात में अंतर है, इसी तरह उनके अहकामात में भी अंतर है। तलाक़ का अधिकार अल्लाह तआला ने मर्द को दिया है और जब मर्द अपना यह हक़ इस्तिमाल करता है तो इसके साथ ही तलाक़ की इद्दत का समय शुरू हो जाता है, जबकि ख़ुला महिला का हक़ है जो वह क़ज़ा की मार्फ़त इस्तिमाल करती है और जब तक क़ज़ा का फ़ैसला न हो जाए उसकी इद्दत का समय शुरू नहीं होता और क़ज़ा की कार्रवाई जिसमें महिला की तरफ़ से निवेदन देना, निर्णय करवाने वालों की कार्रवाई, दोंनो की सुनवाई और फ़ैसला इत्यादि वे विषय हैं जिन पर साधारणता दो तीन माह लग जाते हैं। अत: ख़ुला की इद्दत के कम रखने में एक यह भी हिक्मत है कि ख़ुला के बाद महिला को केवल उसी क़दर पाबंद किया गया है जिससे उस का हमल से ख़ाली होना साबित हो जाए।

इसके बाद हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ ने मज्लिस इफ्ता की रिपोर्ट से सम्बन्धित ऊपर वर्णित उत्तर के अतिरिक्त तलाक़ और ख़ुला की इद्दत के अंतर पर मज़ीद रोशनी डालते हुए तथा विधवा की इद्दत के बारे में फ़रमाया :

तलाक़ की इद्दत के बारे में तफ़सीली अहकामात तो क़ुरआन-ए-करीम में वर्णित हैं कि आम हालात में इद्दत तीन हैज़ होगी। जैसा कि फ़रमाया :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ

(अल् बक़रा : 229) अर्थात तलाक़ दी गई महिलाओं को तीन हैज़ के समय तक अपने आपको रोके रखना होगा। और जिन महिलाओं को हैज़ नहीं आता उनके बारे में फ़रमाया :

وَالّٰٓئِيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓئِيْ لَمْ يَحِضْنَ

(सूरत तलाक़ : 5)

कि तुम्हारी महिलाओं में से जो हैज़ से उदास हो चुकी हों यदि तुम्हें संदेह हो तो उनकी इद्दत तीन महीने है और इसी तरह उनकी भी जिनको हैज़ नहीं आ रहा। और जो महिलाऐं गर्भवती हैं उनकी इद्दत के सम्बन्ध में फ़रमाया : وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (सूरत तलाक़ : 5)

यानी जिन महिलाओं को हमल हो उनकी इद्दत वज़ा हमल तक है।

जबकि ख़ुला की इद्दत की नस नब्वी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीस पर आधारित है। जैसा कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हो से मर्वी है कि नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के ज़माना में हज़रत साबित बिन क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हो की पत्नी ने अपने पति से ख़ुला लिया तो नबी करीम सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक हैज़ इद्दत गुज़ारने का आदेश दिया।

(सुंन तिरमिज़ी किताब अल् तलाक़ बाब मा जाआ फ़ी ख़ुला)

अतः क़ुरआन-ए-करीम और नब्वी सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीसों में वर्णित बैटन से भी साबित हो जाता है कि तलाक़ और ख़ुला की अलग अलग इद्दत है और इस की हिकमतें और वजूहात भी हैं जो ऊपर वर्णन कर दी गई हैं।

जहां तक विधवा की इद्दत का ताल्लुक़ है तो इस बारे में अल्लाह तआला क़ुरआन-ए-करीम में फ़रमाता है कि

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلْنَ فِيْٓ اَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

(अल् बक़रा : 235) अर्थात और तुम में से जिन (लोगों) की रूह क़बज़ कर ली जाती है और वे (अपने पीछे) पत्नियाँ छोड़ जाते हैं (चाहिए) कि वे (बीवीयां) अपने आपको चार महीने (और) दस (दिन) तक रोक रखें फिर जब वह अपना निर्धारित वक़्त पूरा कर लें वे अपने सम्बन्ध में मुनासिब तौर पर जो कुछ (भी) करें उसका तुम पर कोई गुनाह नहीं और जो तुम करते हो अल्लाह उस से वाक़िफ़ है।

विधवा के गर्भवती होने की सूरत में उसकी इद्दत के बारे में सहाबा के ज़माना से ही मतभेद चला आ रहा है। इसलिए कुछ सहाबा

وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

(सुरत तलाक़ : 5) की रोशनी में यह राय रखते थे कि विधवा के गर्भवती होने की सूरत में इस की इद्दत भी जनन ही है चाहे जनन पति के देहांत से अगले क्षण में हो जाए जिस के लिए वे हज़रत सबीहा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हा वाले वाक़िया से दलील लेते हैं। (जिस में आता है कि हज़रत सबीहा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हा हज़रत साद बिन ख़ोला रज़ियल्लाहु अन्हा के निकाह में थीं जो हज्जतुलविदा के अवसर पर फ़ौत हो गए जबकि हज़रत सबीहा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हा गर्भवती थीं। थोड़े दिनों बाद उनके हाँ बच्चा पैदा हुआ। जब वह अपने निफ़ास के बाद अच्छी हो गईं तो उन्होंने शादी का पैग़ाम भेजने वालों के लिए बनाव-सिंगार किया। क़बीला अब्दुल दार के एक व्यक्ति अबू सनाबिल बिन बाकक रज़ियल्लाहु अन्हो ने उनसे कहा कि क्या तुम निकाह का पैग़ाम भेजने वालों के लिए बनाव-सिंगार कर के बैठ गई हो और निकाह की उम्मीद कर रही हो? ख़ुदा की कसम तुम कदापि निकाह नहीं कर सकती जब तक कि तुम पर चार माह और दस दिन न गुज़र जाएं। हज़रत सबीहा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं कि इस पर मैं हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुई और आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम से इस बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने मुझे फ़तवा दिया कि जब बच्चा पैदा हो गया तो मैं आज़ाद हूँ और यदि मैं

मुनासिब समझूं तो निकाह कर लूं) जबकि कुछ दूसरे सहाबा जिनमें हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हो शामिल हैं की राय में विधवा के गर्भवती होने की सूरत में जनन चार माह दस दिन में से जो लम्बा समय होगी वह विधवा की इद्दत है।

गर्भवती विधवा की इद्दत जनन होने के समर्थकों के पास हज़रत सबीहा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हा के इस वाक़िया के अतिरिक्त और कोई दलील नहीं है, निम्न पर ध्यान दिए बगैर कि पुस्तकों हदीसों में इस वाक़िया के रावियों, हज़रत सबीहा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हा के पति के नाम, पति के वफ़ात का समय और तरीक़ वफ़ात (तिब्बी मौत और क़तल के बारे में तथा हज़रत सबीहा असलमी रज़ियल्लाहु अन्हा के हाँ बच्चे के जन्म के समय के बारे में बेशुमार मतभेदों पाए जाते हैं। जिनसे इस वाक़िया का ठीक होना समिक्षा योग्य होना ठहरता है।

अतिरिक्त इसके ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम और ख़िलाफ़त-ए-राशिदा के ज़माना में होने वाली इस्लामी जंगों में हर आयु के सैंकड़ों सहाबा ने शहादत का जाम नोश फ़रमाया और नि:संदेह उनमें से कई सहाबा ऐसे भी होंगे जिनकी पत्नियाँ उनकी शहादत के वक़्त गर्भवती होंगी लेकिन ऐसी किसी विधवा के जनन के तुरंत बाद उसके निकाह का कोई एक भी वाक़िया इतिहास की पुस्तकों और जीवनियों की पुस्तकों में न मिलना इस कथन को संदिग्ध और मुश्तबा ठहराता है। अत: इस एक वाक़िया के आधार पर क़ुरआन-ए-करीम में वर्णन चार माह दस दिन की इद्दत वाले स्पष्ट मत को किसी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता।

अतिरिक्त इसके हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने किसी की वफ़ात पर दु:ख के बारे में उमूमी हिदायत देते हुए इरशाद फ़रमाया कि किसी की वफ़ात पर तीन दिन से ज़्यादा दु:ख की आज्ञा नहीं अतिरिक्त विधवा को कि वे अपने पति की वफ़ात पर चार माह दस दिन दु:ख करेगी।

(सही बुख़ारी, किताब अल् जनाएज़,

(بَابُ إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا)

इस हदीस में भी हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम ने गर्भवती महिला के लिए कोई अपवाद नहीं फ़रमाया कि वह जनन तक दु:ख करेगी।

इसी तरह क़ुरआन-ए-करीम में जहां जनन के साथ इद्दत ख़त्म करने का इरशाद है वहां केवल तलाक़ की सूरत को वर्णन किया गया है, पति की वफ़ात का वहां कोई वर्णन नहीं किया गया।

सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी तसनीफ़ आर्या धर्म में आयत

وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

का जो अनुवाद वर्णन फ़रमाया है इस में इस आयत का तलाक़ के साथ अवलंबन कर के हमारा मार्गदर्शन फ़र्मा दिया कि क़ुरआन-ए-करीम का यह आदेश तलाक़ वाली महिलाओं के लिए है विधवा के लिए नहीं है। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

"وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

नंबर 28 अर्थात गर्भवती वाली महिलाओं की तलाक़ की इद्दत यह है कि वे वज़ा हमल तक बाद तलाक़ के दूसरा निकाह करने से बची रहे। इस में यही हिक्मत है कि यदि हमल में ही निकाह हो जाए तो सम्भव है कि दूसरे का संतान भी ठहर जाए तो इस अवस्था में वंश ज़ाए होगी और यह पता नहीं लगेगा कि वे दोनों लड़के किस-किस बाप के हैं।"

(आर्या धर्म, रुहानी ख़ज़ायन, भाग 10 पृष्ठ 21)

हज़रत मुस्लेह मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हो ने भी दर्सुल क़ुरआन में सूरत अल् तलाक़ की इस आयत की तफ़सीर में वज़ा हमल की इद्दत को तीन माह की इद्दत (जो कि तलाक़ की सूरत में निर्धारित है ना कि बेवगी की सूरत) में गुज़ारने वाली महिलाओं के विषय में वर्णन फ़रमाया है न कि चार माह दस दिन की इद्दत गुज़ारने वाली विधवा महिलाओं के सम्बन्ध में इस आदेश को वर्णन फ़रमाया है। इसलिए हुज़ूर रज़ियल्लाहु अन्हो फ़रमाते हैं :

"और वे महिलाएं जो हैज़ से ना उम्मीद हो गई हों (1) बूढ़ी हों (2) जिनको हैज़ नहीं आता हो अर्थात वयस्कता की आयु तक न पहुंची हों (3) वे जो कि बीमार हों अर्थात इस्तिहाज़ा वाली। इन के लिए तीन माह की इद्दत है और हमल वालियों की इद्दत उनके गर्भ के दिनों में ही हैं। जब बच्चा जन चुकीं तो इद्दत ख़त्म हो गई। इस पर लोगों ने बड़ी बड़ी बहसें की हैं कि यदि तीन माह से पहले बच्चा पैदा हो जाए तो क्या इद्दत ख़त्म हो जाएगी। कुछ कहते हैं कि कम से कम तीन माह परन्तु आंहज़रत आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के ज़माना में एक वाक़िया हुआ था कि एक महिला को तीन माह से पहले ही बच्चे का जनन हो गया था और उसे आपने दूसरी शादी की आज्ञा दे दी थी। इस लिए इस बात का फ़ैसला हो चुका हुआ है।" (अख़बार अल् फ़ज़ल, क़ादियान दारुल अमान, तिथि 4 मई 1914 ई. पृष्ठ 14)

अत: मेरे नज़दीक विधवा होने की सूरत में यदि हमल है और वह चार महीने दस दिन पूरे होने के बाद भी चल रहा है तो वह उसके समय को पूरा करेगी और यदि चार महीने दस दिन से पहले बच्चे का जन्म हो रहा है तो तब भी वह चार महीने दस दिन का समय ही पूरी करेगी। मेरा यह इस्तिंबात इस हदीस की बिना पर है जिसमें यह वर्णन है कि किसी की वफ़ात पर तीन दिन से ज़्यादा दु:ख की आज्ञा नहीं अतिरिक्त विधवा के जो कि अपने पति की वफ़ात पर चार माह दस दिन का दु:ख करेगी।

(सही बुख़ारी, किताब अल् जनायज़),(بَابِ إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا)

यह हदीस इस बात को स्पष्ट कर देती है कि यहां तलाक़ वाली या गर्भ वाली शर्त लागू नहीं होती। यहां विधवा का जो समय है वह चार महीने दस दिन वर्णन फ़रमाया गया है। यदि केवल यह देखना होता कि इस समय में गर्भ प्रकट हो जाएगा तो यहां भी तलाक़ वाली शर्त ही रखी जा सकती थी लेकिन चार महीने दस दिन की समय को निर्धारित करने से अल्लाह तआला का उद्देश्य यह ज्ञात होता है कि इतने समय में हमल भी ज़ाहिर हो जाते हैं और इस के अतिरिक्त जो अफ़्सुर्दगी का समय है वह भी गुज़र जाता है। इसलिए तलाक़ के लिए तो इद्दत का समय बच्चे का जन्म या तीन महीने रखा है लेकिन विधवा की सूरत में चार महीने दस दिन की शर्त बहर हाल पूरी होनी चाहिए। इसलिए मेरे नज़दीक बेवगी की सूरत में इद्दत का

समय चार महीने दस दिन है। क़त-ए-नज़र इसके कि वह गर्भवती है कि नहीं। यदि गर्भवती है और गर्भ चार महीने दस दिन से पहले जनन हो जाता है तो तब भी उसकी इद्दत चार माह दस दिन ही होगी जो वह पूरी करेगी। और यह आंहुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इस आदेश के अनुसार है कि महिला के लिए जो दु:ख है वह चार महीने दस दिन का है। और यही क़ुरआन-ए-करीम का भी आदेश है।

प्रश्न : एक मित्र ने आंहज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम के इरशाद कि "बच्चों को सात साल की उम्र में नमाज़ का आदेश दो और दस साल की उम्र में नमाज़ न पढ़ने पर उन्हें सज़ा दो'' के सम्बन्ध में हुज़ूर की सेवा में मार्गदर्शन का निवेदन किया। जिस पर हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल ने अपने पत्र तिथि 2 फ़रवरी 2019 ई. में निमंलिखित उत्तर अता फ़रमाया

उत्तर : इस्लाम की तालीम की बड़ी ख़ूबी यह है कि वह संतुलन पर आधारित है। आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का यह इरशाद भी अपने अंदर इसी संतुलन को लिए हुए है कि इबादत जो कि हर इन्सान के जन्म का प्रथम उद्देश्य है, बचपन से ही इस पर-ज़ोर दिया जाए और बच्चों को अपने नमूना के साथ साथ नमाज़ पढ़ने की तलक़ीन की जाए। तीन साल की मुसलसल तलक़ीन और उपदेश के बाद भी यदि बच्चा उसकी पाबंदी न करे तो उसे एक वक़्त तक मुनासिब सज़ा देने का आदेश है। लेकिन यह सज़ा ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें सज़ा देने वाले की तरफ़ से इस बच्चे के साथ एक दुश्मनी का रंग हो या इन्सान यह समझे कि इस सज़ा के परिणाम में वह ज़रूर उस बच्चा को नमाज़ का आदी बना सकता है। बल्कि इस सज़ा में भी यह बात ही समक्ष होना चाहिए कि तर्बीयत केवल अल्लाह तआला के फ़ज़्ल से ही हो सकती है, जिसके हुसूल का असल माध्म दुआ ही है। और जो सज़ा देने की राह इख़तियार की जा रही है वह भी वास्तव में अल्लाह तआला ही के रसूल के आदेश पर इख़तियार की जा रही है ताकि बच्चा इस से सबक पकड़ कर नमाज़ की तरफ़ राग़िब हो जाए। फिर जब बच्चा mature हो जाये और बारे तेराह साल की उम्र को पहुंच कर अच्छे बुरे की समझ इस में पैदा हो जाए तो इस का मुआमला अल्लाह तआला के सपुर्द कर के इस के लिए केवल दुआ और वाज़-ओ-नसीहत के तरीक़ को अपनाना चाहिए। ऐसी ही सज़ा के सम्बन्ध में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फ़रमाते हैं :

"यदि कोई व्यक्ति ख़ुद्दार और अपने नफ़स की बाग को क़ाबू से न देने वाला और पूरा मुतहम्मिल और बुर्दबार और बा सुकून और बावक़ार हो तो उसे जबकि हक़ पहुंचता है कि किसी वक़्त उचित पर किसी हद तक बच्चे को सज़ा दे या डाँट-डपट करे।"

(मल्-फ़ूज़ात, भाग 2 पृष्ठ 4 ऐडीशन 1984 ई.)

प्रश्न : हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल के साथ कैनेडा के अतफ़ाल की virtual मुलाक़ात तिथि 15 अगस्त 2020 ई. में एक तिफ़्ल ने हुज़ूर अनवर की सेवा में इस्तिफ़सार पेश किया कि क्या इस्लाम की तालीम के अनुसार हम ख़ून और मरने के बाद जिस्मानी अंग donate कर सकते हैं? हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल ने इसका निमंलिखित उत्तर अता फ़रमाया :

उत्तर : बिल्कुल कर सकते हैं, बल्कि मरने से पहले भी कर सकते हैं। कुछ लोग अपनी kidney donate करते हैं, कुछ अपने liver donate करते हैं। लेकिन बाक़ी organs तो हम मरने के बाद donate कर सकते हैं और यह अच्छी बात है। जो कोई काम तुम humanity को serve करने के लिए कर रहे हो तो उस के लिए अल्लाह तआला ने आज्ञा दी है। और यह बड़ी अच्छी बात है।

प्रश्न : इसी मुलाक़ात में एक तिफ़्ल ने हुज़ूर अनवर की सेवा में अर्ज़ किया कि हम ख़ुदा तआला के साथ कैसे सम्पर्क पैदा कर सकते हैं? हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल ने इस का निमंलिखित उत्तर अता फ़रमाया :

उत्तर : तआला ने फ़रमाया है कि मैंने तुम्हें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तुम मेरी इबादत करो। मुझे एक समझो। मेरी बातें मानो। मेरा नबी जो तुम्हारे पास तालीम ले के आते हैं, उस पर अमल करो तो तुम मेरे क़रीब आ जाओगे। तुमने यहां दुनिया में किसी से दोस्ती लगानी हो तो तुम दोस्त की बात मानते हो नाँ? उस की बात मानते हो तो तभी वह तुम्हारे साथ दोस्ती करता है नाँ? यदि तुम और वह दोनों दोस्त हो और तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बात न माने और तुम उस की बात न मानो तो फिर दोस्ती नहीं नां रहेगी? बस अल्लाह तआला भी यही कहता है कि मेरे से दोस्ती करो, तुम मेरी बात मानो और मैं फिर तुम्हारी बातें मानूँगा। और इस तरह ताल्लुक़ पैदा हो जाएगा।

प्रश्न : इसी मुलाक़ात में एक और तिफ़्ल ने हुज़ूर अनवर की सेवा में अर्ज़ किया कि आजकल कोरोना वायरस फैला हुआ है, हुज़ूर के लिए सफ़र करना कब safe होगा और हुज़ूर कब कैनेडा तशरीफ़ लाएँगे? हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल ने इस प्रश्न का निमंलिखित शब्दों में उत्तर अता फ़रमाया। हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया

उत्तर : यह तो मैं भी नहीं जानता कि कोरोना वायरस कब ख़त्म होगा। तुम आप ही कहते हो कि कोरोना वायरस फैला हुआ है, सफ़र नहीं हो सकता। तो फिर दुआ करो, जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा तो फिर कैनेडा का सफ़र भी हो जाएगा। यह तो दुआओं पर depend करता है कि कितनी जल्दी तुम अल्लाह तआला से उसका फ़ज़्ल मांगते हो अल्लाह तआला से फ़ज़्ल माँगोगे तो जल्दी यह बीमारी दूर हो जाएगी। फिर तुम्हारे मुल्क की तरह कई और मुल्क (के लोग) भी हैं जो कहते हैं कि आएं, पर नहीं जा सकते। अब पता नहीं कैनेडा की बारी कब आती है? चलो जब कोरोना वायरस ख़त्म हो जाएगा, सफ़र की आज्ञा हो जाएगी, मैं न आया तो तुम आ जाना, यहां आ के मिल लेना। ठीक है। वैसे तो तुम्हारी मस्जिद इत्यादि देख के इस वक़्त मुझे लग रहा है कि मैं कैनेडा में ही बैठा हुआ हूँ। जिस तरह हवाओं के माध्यम से हमने कैनेडा का दर्शन कर लिया है, इस वक़्त हम सारी चीज़ों का दर्शन कर रहे हैं, तो यही सारे नज़्ज़ारे इस पहले वाले तिफ़्ल ने जो मेराज के सम्बन्ध में प्रश्न किया था तो इसी तरह अल्लाह तआला ने बग़ैर सैटेलाइट के आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम को जन्नत का (destinate view) दिखा दिया था। जिस तरह मैं तुम्हारी मस्जिद देख रहा हूँ और मुझे याद आ गया कि अमुक जगह बैठ के मैंने तुम्हारे एक जर्नलिस्ट को इंटरव्यू भी दिया था। मस्जिद के पिछले हिस्सा में वह कोना भी मुझे नज़र आ रहा है कि

किस जगह था। तो इसी तरह नज़्ज़ारे देख के पता लग जाता है। बहर हाल अल्लाह तआला फ़ज़्ल करे, जब भी कोरोना वायरस ख़त्म होगा तो फिर इन शा अल्लाह तआला आएँगे। जितनी ज़ोर से तुम लोग दुआएं करोगे उतनी जल्द अल्लाह फ़ज़ल करेगा।

प्रश्न : महिलाओं के अपने चेहरा पर पलकिंग और थ्रेडिंग इत्यादि करने तथा शरीर पर तसावीर गुदवाने ने के बारे में प्रश्न प्रस्तुत होने पर हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल ने अपने पत्र तिथि 2 फ़रवरी 2019 ई. में निम्नलिखित उत्तर अता फ़रमाया। हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया

उत्तर : हदीसों में मोमिन महिलाओं को अपने जिस्मों पर अलग तसावीर बनवाने, चेहरे के बाल नोचने, ख़ूबसूरती और जवान नज़र आने के लिए सामने के दाँतों में दूरी पैदा करने, नकली बालों के लगाने, अल्लाह की बनाएं हुए में तबदीली करने इत्यादि विषयों से मना फ़रमाया गया है, इस के अलग कारण हैं।

यदि इन बातों से इन्सान के जिस्मानी बनावट तथा चालचलन में इस तरह का बनावटी परिवर्तन हो जाए कि मर्द और महिला का अंतर जो ख़ुदा तआला ने इन्सानों में रखा है वह ख़त्म हो जाए। या उस किस्म के कर्यों से शिर्क जो सबसे बड़ा गुनाह है इस की तरफ़ लगाव पैदा होने का अंदेशा हो तो इस से मना फ़रमाया गया। फिर हदीसों में जहां उन विषयों से मना किया वहां आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने यह भी डराया कि बनीइस्राईल उस वक़्त हलाक हुए जब उनकी महिलाओं ने इस किस्म के काम शुरू किए। अत: इस से इस्तिदलाल हो सकता है कि यहूद जिनके हाँ व्यभिचार फैल चुका था और वेश्यावृत के अड्डे क़ायम हो गए थे, इस काम में ग्रस्त महिलाओं, मर्दों को अपनी तरफ़ आकर्षित करने की ख़ातिर इस किस्म के हथकंडे इस्तिमाल करती हों, इसलिए रसूल-ए-ख़ूदा सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इन कामों की बुराई वर्णन फ़र्मा कर मोमिन महिलाओं को इस से मना फ़रमाया।

अतिरिक्त इसके यह भी सम्भव है कि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम का ये इरशाद उस वक़्त के हालात के पेश-ए-नज़र वक़्ती हो, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने एक इलाक़ा के इस्लाम क़बूल करने वाले लोगों को इस इलाक़ा में शराब बनाने के लिए इस्तिमाल होने वाले बर्तनों के आम इस्तिमाल से मना फ़र्मा दिया था। लेकिन जब उन लोगों में इस्लामी तालीम अच्छी तरह रच बस गई तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने उन्हें इन बर्तनों के आम इस्तिमाल की आज्ञा दे दी।

इस्लाम ने कर्मों की निर्भरता नीयतों पर रखीं है। अत: उस ज़माना में भी यदि इन कामों के परिणाम में किसी बुराई की तरफ़ लगाव पैदा हो या इस्लाम के किसी स्पष्ट आदेश की ना-फ़रमानी होती हो तो ये काम हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम के उस मनाही के तहत ही शुमार होगा। जैसा कि इस ज़माना में भी महिलाएं अपनी सफ़ाई या वैक्सिंग इत्यादि करवाते वक़्त यदि पर्दा का इल्तिज़ाम न करें और दूसरी महिलाओं के सामने उनके सत्तर की बेपर्दगी होती हो तो यह निर्लज्जता है जिसकी आज्ञा नहीं है और शायद ये महिलाएं इसी मनाही के अंतर्गत आती हैं। लेकिन पर्दा के इस्लामी आदेश की पाबंदी के साथ यदि कोई महिला इन चीज़ों से लाभ उठाती है तो इस में कोई हर्ज नहीं।

प्रश्न : एक दोस्त ने हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल की ख़िदमत अक़्दस में इस्तिफ़सार किया कि क्या एक सफ़र में एक से ज़्यादा उमरे करने बेहतर हैं या एक उमरा करने के बाद बाक़ी वक़्त अन्य इबादात में गुज़ारा जाए? हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल ने अपने पत्र तिथि 2 फ़रवरी 2019 ई. में इस प्रश्न का निम्नलिखित उत्तर अता फ़रमाया :

उत्तर : आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सुन्नत से साबित है कि हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने एक सफ़र में एक ही उमरा फ़रमाया। लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने कहीं इस की मनाही नहीं फ़रमाई कि एक सफ़र में एक से अधिक उमरे नहीं हो सकते। इसलिए यदि कोई व्यक्ति हुज़ूर सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की सुन्नत के अनुसार एक सफ़र में केवल एक ही उमरा करे और बाक़ी वक़्त अन्य इबादात में गुज़ारे तो ये भी ठीक है और यदि वह एक से ज़्यादा उमरे करना चाहे तो चूँकि उमरे में भी अल्लाह तआला के घर का तवाफ़, सफ़ा और मर्वा के चक्कर, ख़ुदा की याद और नवाफ़िल होते हैं, इसलिए इस में भी कोई हर्ज की बात नहीं।

प्रश्न : एक महिला ने विधवा के इद्दत के दौरान लजना के प्रोग्रामों में सम्मिलित होने, नमाज़ बाजमाअत के लिए मस्जिद में आने और अज़ीज़ों के घरों में जाने के बारे में मसाइल दरयाफ़त किए। तथा लिखा है कि बड़ी उमर की महिलाओं के लिए इद्दत की पाबंदी नहीं होनी चाहिए। हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल ने अपने पत्र तिथि 2 फ़रवरी 2019 ई. में इन विषयों के बारे में निम्नलिखित मार्गदर्शन फ़रमाया। हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया :

उत्तर : विधवा की इद्दत के आदेशों में परिवर्तन के हक़ में आपने अपने पत्र में जो तलाक़ के बाद निकाह वाली दलील (क़ुरआन-ए-करीम के अनुसार तलाक़ के बाद इद्दत पूरी होने पर पहले पति से निकाह केवल उसी सूरत में हो सकता है जब किसी दूसरे मर्द से शादी हो और फिर वह तलाक़ दे। लेकिन अब दूसरे मर्द से शादी के बग़ैर भी पहले पति से निकाह हो जाता है। अत: जिस तरह इस आदेश में नज़र-ए-सानी की गई है, इसी तरह पति की वफ़ात के बाद की इद्दत में भी महिला की उमर के लिहाज़ से नज़र-ए-सानी होनी चाहिए) दी है वह ग़लत है। न पहले ऐसा कोई आदेश था और न ही इस में कोई तबदीली हुई है। आपने अपनी कम इलमी की वजह से तलाक़ के बारे में दो अलग अलग अहकामात को मिला जुला दिया है।

इसी तरह विधवा की इद्दत के बारे में भी आप इस्लामी तालीमात से पूरी तरह अवगत नहीं हैं। इस्लाम ने महिला को अपने पति की वफ़ात पर चार माह दस दिन तक दु:ख करने का आदेश दिया है और इस में किसी प्रकार की कोई छूट नहीं रखी और न ही इस आदेश में आयु की कोई रियाइत रखी है। अत: विधवा के लिए ज़रूरी है कि वह इद्दत का यह समय जहाँ तक सम्भव हो अपने घर में गुज़ारे, इस दौरान उसे बनाओ सिंघार करने, सोशल प्रोग्रामों में हिस्सा लेने और बग़ैर ज़रूरत घर से निकलने की आज्ञा नहीं।

इद्दत के समय के दौरान विधवा अपने पति की क़ब्र पर दुआ के लिए जा सकती है इस शर्त के साथ कि वह क़ब्र इसी शहर में हो जिस शहर में विधवा की रिहायश है। तथा यदि उसे डाक्टर के पास जाना पड़ता है तो यह भी मजबूरी के तहत आता है। इसी तरह यदि किसी विधवा के ख़ानदान का गुज़ारा उस की नौकरी

पर हो या बच्चों को स्कूल लाने, ले जाने और ख़रीदारी के लिए उसका कोई और इंतिज़ाम नहीं तो ये सब विषय मजबूरी के तहत आएँगे। ऐसी सूरत में उसके लिए ज़रूरी है कि वह सीधी काम पर जाए और काम मुकम्मल कर के वापस घर आकर बैठे। मजबूरी और ज़रूरत के तहत घर से निकलने की बस उतनी ही हद है। किसी किस्म की सोशल मज्लिसों या प्रोग्रामों में शिरकत की उसे आज्ञा नहीं। अत: शरीयत में नई नई चीज़ें दाख़िल करने और नई नई बिद्दतें पैदा करने की किसी को आज्ञा नहीं दी गई।

प्रश्न : एक दोस्त ने इन हदीसों के बारे में हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल की ख़िदमत अक़्दस में मार्गदर्शन का निवेदन किया जिन हदीसों में जंग के दौरान, आम लोगों के झगड़ों और पति पत्नी के मध्य सुलह कराने के लिए झूठ बोलने की आज्ञा दी गई है। हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल ने अपने पत्र तिथि 28 जनवरी 2019 ई. में निम्नलिखित मार्गदर्शन फ़रमाया। हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया :

उत्तर : क़ुरआन-ए-करीम और मुस्तनद हदीसों में झूठ को أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ (अर्थात बड़े बड़े गुनाहों में से बड़ा गुनाह) क़रार दिया गया और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ने इस से इजतिनाब की बार-बार नसीहत फ़रमाई है।

जहां तक आपके पत्र में वर्णित रिवायत का सम्बन्ध है तो ऐसी एक रिवायत सही बुख़ारी और सही मुस्लिम में हज़रत उम्मे कुलसूम बिंत अक़्बा रज़ियल्लाहु अन्हा से मर्वी है और इस रिवायत के शब्द मुहतात और काबुले तावील हैं। इसलिए इस रिवायत के शब्द ये हैं لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِي خَيْرًا۔ अर्थात जो व्यक्ति लोगों में सुलह करवाने के लिए नेक बात करे और अच्छी बात आगे पहुंचाए वह झूठा नहीं है।

इस का उदाहरण ऐसे है कि सुलह करवाने वाला व्यक्ति एक फ़रीक़ की दूसरे फ़रीक़ के बारे में कही हुई बातों में से अच्छी और नेक बातें दूसरे फ़रीक़ तक पहुंचा दे और इस फ़रीक़ के ख़िलाफ़ कही जाने वाली बातों के बारे में ख़ामोशी रहे तो ऐसा सुलह करवाने वाला झूठा नहीं कहला सकता है।

सुंन तिरमिज़ी ने हज़रत अस्मा बिंत यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हा से इस रिवायत को इन शब्द में वर्णन किया है

لَا يَحِلُّ الْكَذِبُ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ يُحَدِّثُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ لِيُرْضِيَهَا وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ وَالْكَذِبُ لِيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ۔

अर्थात तीन बातों के सिवा झूठ बोलना जायज़ नहीं। पति अपनी पत्नी को राज़ी करने के लिए कोई बात कहे। लड़ाई के अवसर पर झूठ बोलना और लोगों के मध्य सुलह करवाने पर झूठ बोलना।

पहली बात यह है कि सुंन तिरमेज़ी में वर्णन यह रिवायत क़ुरआन-ए-करीम के स्पष्ट आदेश और सही हदीसों में मर्वी अन्य रिवायात के ख़िलाफ़ होने की बिना पर स्वीकार करने योग्य नहीं। और दूसरी बात यह कि इस्लाम ने झूठ को किसी अवसर पर भी जायज़ क़रार नहीं दिया बल्कि इसके विपरीत यह तालीम दी कि जान भी जाती हो तो जाने दो लेकिन सच को हाथ से मत जाने दो।

सय्यदना हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी इस बारे में हमारा मार्गदर्शन फ़रमाया है। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम अपनी तसनीफ़-ए-लतीफ़ "नुरुल क़ुरआन नंबर 2" में एक ईसाई के इसी एतराज़ का उत्तर देते हुए फ़रमाते हैं :

"क़ुरआन शरीफ़ ने झूठ बोलने वाले को मूर्ति पूजा के समान ठहराया है। जैसा कि अल्लाह तआला फ़रमाता है فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّوْرِ असल बात यही है कि किसी हदीस में झूठ बोलने की कदापि आज्ञा नहीं बल्कि हदीस में तो ये शब्द हैं कि ان قتلت و احرقت फिर यदि फ़र्ज़ के तौर पर कोई हदीस क़ुरआन और सही हदीसों की मुख़ालिफ़ हो तो वह सुनने के योग्य नहीं होगी क्योंकि हम लोग उसी हदीस को क़बूल करते हैं जो सही हदीसों और क़ुरआन-ए-करीम के मुख़ालिफ़ न हो। हाँ कुछ हदीसों में तौरिया के औचित्यपूर्ण की तरफ़ इशारा पाया जाता है। और इसी को नफ़रत दिलाने की उद्देश्य से झूठ के नाम से नामांकित किया गया है और एक जाहिल और अहमक़ जब ऐसा शब्द किसी हदीस में दुटप्पी बात के लिखा हुआ पाए तो शायद उस को वास्तविक झूठ ही समझ ले क्योंकि वह इस क़तई निर्णय से बे-ख़बर है कि हक़ीक़ी झूठ इस्लाम में पलीद और हराम और शिर्क के बराबर है परन्तु तौरिया जो वास्तव में किज़्ब नहीं जबकि किज़्ब के रंग में है मुश्किल के वक़्त लोगों के वास्ते उस का जवाज़ हदीस में पाया जाता है परन्तु फिर भी लिखा है कि सबसे बेहतर वही लोग हैं जो तौरिया से भी परहेज़ करें ... परन्तु बावस्फ़ उसके बहुत सी हदीसें दूसरी भी हैं जिनसे ज्ञात होता है कि तौरिया आला दर्जा के तक़्वा के विपरीत है और बहर हाल खुली खुली सच्चाई बेहतर है जबकि उस की वजह से क़तल किया जाए और जलाया जाए।"(नूरुल क़ुरआन नम्बर 2 रुहानी ख़ज़ायन, भाग 9 पृष्ठ 403 से 405)

अत: यह बात किसी तरह भी मानने के योग्य नहीं कि किसी हदीस में झूठ बोलने की आज्ञा दी गई है। इसलिए यदि इन हदीसों की कोई ततबीक़ हो सकती हो जो क़ुरआन और सुन्नत के अनुसार ठहरे तो इस ततबीक़ (एक चीज़ को दूसरे के मुताबिक़ करना) के साथ हम इन हदीसों को क़बूल करेंगे, अन्यथा क़ुरआन-ए-करीम और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की स्पष्ट तालीम के ख़िलाफ़ होने की वजह से हम इन हदीसों को स्वीकार करने योग्य नहीं ठहराते।

प्रश्न : महिलाओं के अय्याम हैज़ में (माहवारी के दिनों में) मस्जिद में आकर बैठने तथा इन दिनों में तिलावत क़ुरआन-ए-करीम करने के बारे में एक महिला की एक तजवीज़ पर हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल ने अपने तिथि 13 मार्च 2019 ई. में निम्नलिखित इर्शादात फ़रमाए। हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया :

उत्तर : ऊपर वर्णित दोनों विषयों के बारे में उल्मा और फुक़हा की राए अलग रही हैं और बुज़ुर्गान-ए-दीन ने भी अपनी क़ुरआन फ़हमी और हदीस फ़हमी के अनुसार इस बारे में अलग उत्तर दिए हैं। इसी तरह जमाअती लिटरेचर में भी ख़ुलफ़ा-ए- अहमदियत के हवाले से तथा जमाअती उल्मा की तरफ़ से अलग उत्तर मौजूद हैं। क़ुरआन-ए-करीम, और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम की हदीसों और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के इर्शादात की रोशनी में, महिलाओं के महवारी के दिनों में क़ुरआन-ए-करीम पढ़ने के विषय में मेरा मत है कि महवारी के दिनों में महिला को क़ुरआन करीम का जो हिस्सा ज़बानी याद हो, वे उसे महावरी के दिनों में पढ़ने के तौर पर दिल में दोहरा सकती है। और ज़रूरत के वक़्त किसी साफ़ कपड़े में क़ुरआन-ए-करीम को पकड़ भी सकती है और किसी को हवाला इत्यादि बताने के लिए या बच्चों को क़ुरआन-ए-करीम पढ़ाने के लिए क़ुरआन-ए-करीम का कोई हिस्सा पढ़ भी सकती है लेकिन बाक़ायदा

तिलावत नहीं कर सकती।

इसी तरह उन दिनों में महिला को कम्पयूटर इत्यादि पर जिसमें उसे बज़ाहिर क़ुरआन-ए-करीम पकड़ना नहीं पड़ता बाक़ायदा तिलावत की तो आज्ञा नहीं लेकिन किसी ज़रूरत उदाहरण हवाला तलाश करने के लिए या किसी को कोई हवाला दिखाने के लिए कम्पयूटर इत्यादि पर क़ुरआन-ए-करीम से लाभ प्राप्त कर सकती है। इस में कोई हर्ज नहीं।

उन दिनों में महिला मस्जिद से कोई चीज़ लाने के लिए या मस्जिद में कोई चीज़ रखने के लिए तो मस्जिद में जा सकती है लेकिन वहां जा कर बैठ नहीं सकती। यदि उस की आज्ञा होती तो आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि व सल्लम ईद में शामिल होने वाली ऐसी महिलाओं के लिए क्यों ये हिदायत फ़रमाते कि वे नमाज़ की जगह से अलग रहें। अत: इस हालत में महिलाओं को मस्जिद में बैठने की आज्ञा नहीं। यदि कोई महिला इस हालत में मस्जिद में आती है या कोई बच्ची ऐसी हालत में अपनी माता के साथ मस्जिद आई है या अचानक किसी की ये हालत शुरू हो गई है तो उन समस्त सूरतों में ऐसी महिलाओं और बच्चियां मस्जिद की नमाज़ पढ़ने वाली जगहों में नहीं बैठ सकतीं। बल्कि किसी नमाज़ न पढ़ने वाली जगह पर उनके बैठने का इंतिज़ाम किया जाए।

प्रश्न : हज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल के साथ नैशनल आमिला लजना इमाइल्लाह की virtual मुलाक़ात तिथि 16 अगस्त 2020 ई. में तर्बीयत के अलग पहलूओं के हवाले से हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल ने मैंबरान आमेला को तवज्जा दिलाते हुए निम्नलिखित हिदायात दीं। हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया :

उत्तर : माताओं के माध्यम से तर्बीयत करें कि जो आजकल की यहां बच्चियां पढ़ रही हैं उनके साथ उनके सम्बन्ध दोस्ताना होने चाहिएं और उनका यहां जो बाहर निकल के, यूनीवर्सिटीज़ में जा के, कालेजज़ में के exposure है इसके साथ यदि माएं पूरी तरह तालीम-ए-याफ़ता नहीं हैं तो फिर वे आप लोगों से सहायता लें। लेकिन इसके अतिरिक्त लड़कियों के साथ सम्पर्क रखें। और लड़कियों की तर्बीयत ये करें कि वे जैसी मर्ज़ी तालीम हासिल करें लेकिन जो दीन को दुनिया पर प्राथमिकता देने का समय है, उसको सामने रखें कि वे क्या हैं? केवल दुनिया में ही न पड़ जाएं। यहां उनको यह भी realize करवाना चाहिए कि यहां आ के अल्लाह तआला ने जो दुनियावी लिहाज़ से फ़ज़्ल किए हैं इन दुनियावी फ़ज़्लों पर अल्लाह तआला के शुक्राने का सही प्रकटन यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा दीन से attach हुआ जाए। यह अक्सर लड़कों में भी होता है इसलिए फिर माओं की तर्बीयत इस लिहाज़ से भी करने की ज़रूरत है कि पंद्रह वर्ष तक या कम से कम तेराह चौदह वर्ष तक लड़के भी माओं ही के माध्यम से प्रभावित होते हैं (इसलिए माएं लड़कों की भी इस हवाले से तर्बीयत करें) फिर माओं की तर्बीयत की इसलिए भी ज़रूरत है कि ये जो मर्दों की तर्बीयत की ज़िम्मेदारी है ये भी आप लोगों ने ही करनी है। मर्दों में भी तर्बीयत में कमी है। मैं ये नहीं कहता कि वे जैसा मर्ज़ी काम करते रहें और महिलाएं अपनी ज़िम्मेदारियाँ सम्भालें। उनकी भी ज़िम्मेदारी है। लेकिन

शेष पृष्ठ 26 पर

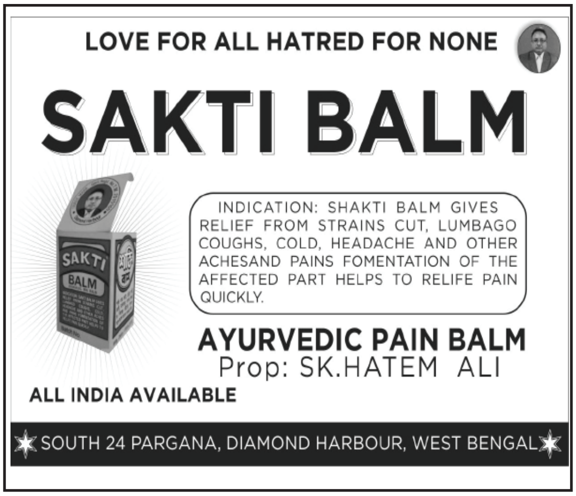
LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE
SAKTI BALM
INDICATION: SHAKTI BALM GIVES RELIEF FROM STRAINS CUT, LUMBAGO COUGHS, COLD, HEADACHE AND OTHER ACHESAND PAINS FOMENTATION OF THE AFFECTED PART HELPS TO RELIFE PAIN QUICKLY.
AYURVEDIC PAIN BALM
Prop: SK.HATEM ALI
ALL INDIA AVAILABLE
SOUTH 24 PARGANA, DIAMOND HARBOUR, WEST BENGAL

INDIA MOVES ON EXIDE
M.S.AUTO SERVICE
2-423/4 Bharath Building
Railway Station Road Kacheguda,
Hyderabad.500027(T.s)
Cell :9440996396,9866531100

METRO PLASTIC PRODUCTS
YUBA
QUALITY FOOTWEAR
E-mail:yuba.metro@yahoo.com
{AN ISO 9001:2008 CERTIFIED COMPANY}
H.O & FACTORY : 20 A RADHANATH CHOUDHURAY ROAD
KOLKATA700015,PH:2328-1016

LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE
RSB Traders & whole seller
Specialist in Teddy Bear Ladies & Kids items, All Types of Bags & Garments items
Branch: Aroti Tola Po muluk Bolpur-Birbhum
Head office: Q84 Akra Road Po.Bartala, Kolkata-18
Mob: 9647960851
9082768330

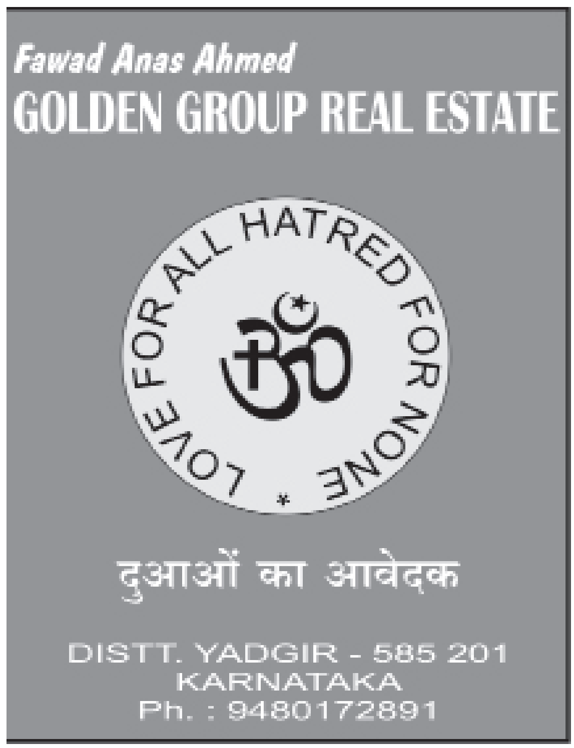
Fawad Anas Ahmed
GOLDEN GROUP REAL ESTATE
LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE
दुआओं का आवेदक
DISTT. YADGIR - 585 201
KARNATAKA
Ph. : 9480172891

सिलसिला अहमदिया (अर्थात अहमदियत का परिचय) जिल्द-1

(लेखक - हज़रत मिर्ज़ा बशीर अहमद साहिब M.A.)

(भाग-35) अनुवादक – इब्नुल मेहदी लईक M.A.

पश्चिमी देशों में प्रचार का उत्साह और रिव्यू आफ़ रेलीजिंज़ का प्रकाशन :

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इस बात की बड़ी इच्छा रहती थी कि ईसाई देशों में इस्लाम की तब्लीग़ की जाए और आपके अवतरण के उद्देश्यों में से एक बड़ी उद्देश्य यही था कि ईसाई धर्म के ज़ोर को तोड़ कर उस के स्थान पर इस्लाम को स्थापित किया जाए। वस्तुत: आपको शिर्क से अत्यंत घृणा थी और आपकी आत्मा इस विचार से अत्यंत बेचैन रहती थी कि दुनिया का एक बड़ा भाग में एक कमज़ोर इन्सान को जिसमें कोई ख़ुदाई की बात नहीं पाई जाती और उसने कभी ख़ुदाई का दावा भी नहीं किया, ख़ुदा बनाया जा रहा है। आपने कई स्थानों पर लिखा है और फ़रमाया भी करते थे कि मैंने कशफ़ की हालत में कई बार हज़रत मसीह नासरी से मुलाक़ात की है और एक दफ़ा उनके साथ मिलकर खाना भी खाया है और हर दफ़ा उन्हें अत्यंत विनीत और विनम्र स्वभाव का पाया है और उनके मुँह से ये इक़रार सुना है कि मैं तो ख़ुदा का एक कमज़ोर बंदा हूँ। अत: हज़रत मसीह मौऊद के दिल में यह बड़ी इच्छा थी कि दुनिया से शिर्क और मुर्दों की पूजा मिट जाए और इस की जगह वास्तविक तौहीद और ख़ुदा-परस्ती क़ायम हो जाए और आपके दिल में इसकी बहुत तड़प रहती थी कि बावजूद इस के कि हज़रत मसीह नासरी में कदापि कोई ख़ुदाई चिन्ह नहीं पाए जाते थे बल्कि बतौर एक रसूल के भी उन्हें अपनी ज़िंदगी में कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई उन्हें बाद में आने वालों ने खुदाई के तख़्त पर बैठा रखा है और आप इस परिवर्तन की मूल जड़ पौलोस को ख़्याल करते थे जिसने मसीही मज़हब में दाख़िल हो कर उस का रंग बदल दिया और एक कमज़ोर इन्सान को ख़ुदा बनाने की भारी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली और फिर बाद में आने वालों ने इस ख़्याल को और दृढ़ कर दिया। मगर आप फ़रमाते थे कि अब आसमान पर इस महान शिर्क के ख़िलाफ़ बहुत जोश है और मेरे अवतरण की इसी आसमानी हरकत का नतीजा है और वो वक़्त क़रीब आ गया है कि सलीबी तिलसम टूट जाएगा और दुनिया फिर बड़े ज़ोर के साथ तौहीद और ख़ुदा-परस्ती की ओर लौटेगी।

आपने फ़रमाया कि हम तो केवल एक माध्यम हैं अन्यथा वास्तविक युद्ध ख़ुदा का है जिसकी आकाशीय सेनाएँ शैतानी विचारों को मिटाने के लिए तत्पर हैं। लेकिन हमारा फ़र्ज़ है कि इस आसमानी हरकत के मुताबिक़ ज़ाहिर में भी एक हरकत पैदा रखें और उन अस्बाब को काम में लाएं जो ख़ुदा ने अपने फ़ज़्ल से हमारे हाथ में दिए हैं। चुनांचे आपने दावे के आरंभ से लेकर बराबर अपनी ज़बान और अपनी क़लम को तौहीद की स्थापना के लिए हरकत में रखा और इश्तिहारों से ,किताबों से, मुनाज़रों से, तक़रीरों से शिर्क के क़िला पर मुसलसल गोला बारी की। और हज़ारों बार यह ऐलान किया कि मसीहियों या विभिन्न धर्मों वालों में से जिसे इस्लाम की सच्चाई के बारे में संदेह हो या वो अपने मज़हब को इस्लाम के मुक़ाबिल

पर सच्चा समझता हो तो वो हमारे सामने आकर लिखित तथा बौद्धिक तर्कों के साथ या रुहानी मुक़ाबला के रंग में ज़ोर-आज़माई कर ले। आपने यह भी विज्ञापन दिया कि चूँकि ख़ुदा ने मुझे सारी दुनिया के सुधार के लिए अवतरित किया है और इस ज़माना के बड़े उपद्रवों के मुक़ाबला के लिए खड़ा किया है इस लिए उसने मुझे वे शक्तियाँ भी प्रदान की हैं जो इस काम को करने के लिए ज़रूरी हैं और आपने लिखा कि चूँकि हज़रत मसीह नासरी का मिशन बहुत सीमित था इस लिए उनकी ताक़तें भी सीमित थीं चुनांचे आपने दावा किया कि अगर किसी पादरी में हिम्मत है तो वह मेरे सामने आकर इस बात की परीक्षा कर ले कि रुहानी ताक़त और निशान के प्रदर्शन में मसीह नासरी और मसीह मुहम्मदी में कौन महान है? आपने व्याख्या की कि ख़ुश एतिक़ादी का ख़्याल जुदागाना है लेकिन अगर मसीह नासरी के निशानात को तन्क़ीदी नज़र से देखा जावे और उनकी वास्तविकता पर ग़ौर किया जाये तो यक़ीनन वो निशानात इन निशानात के मुक़ाबला पर तुच्छ और कमतर साबित होंगे जो ख़ुदा मेरे हाथ पर ज़ाहिर कर रहा है

अत: आपको मसीह परस्ती के ख़िलाफ़ बहुत जोश था और आपको ख़ुदा ने इल्हामों और ख़ाबों के ज़रीया यह बशारत भी दी थी कि जल्द या कुछ देर से आपकी लाई हुई रोशनी से यूरोप प्रकाशित होगा। इस उद्देश्य के लिए आपने 1902 ई० में एक अंग्रेज़ी पत्रिका की बुनियाद रखी ताकि इस के ज़रीया से पश्चिमी देशों में मसीहीयत के ख़िलाफ़ और इस्लाम के हक़ में मुहिम जारी कर सकें और चूँकि आप ख़ुद अंग्रेज़ी ज़बान से अपरिचित थे आपने इस रिसाला की ऐडीटरी अपने एक नौजवान और अंग्रेज़ीदान मुरीद मौलवी मुहम्मद अली साहिब एम-ए के सपुर्द की जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की हिदायात के अंतर्गत आपके मज़ामीन का अंग्रेज़ी में तर्जुमा करते या आपके बताए हुए नोटों के मुताबिक़ ख़ुद मज़मून लिखते थे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तवज्जा की बरकत से इस रिसाला ने आश्चर्यचकित रूप से तरक़्क़ी की और बहुत ही थोड़े समय में सारी इलमी दुनिया में अपना सिक्का जमा लिया और बड़े बड़े यूरोपियन और अमरीकन उल्मा ने इस के मज़ामीन की तारीफ़ में जोश से भरे हुए रिव्यू लिखे और इस के तर्कों की शक्ति को स्वीकार किया।

जैसा कि बताया जा चुका है इस पत्रिका के अधिकतर विषय ख़ुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के हाथ के लिखे हुए होते थे और कुछ के बारे में आप नोट लिखा देते थे और आपने इन मज़ामीन में अपने क़लम के घोड़े को धर्मों के विशाल मैदान के प्रत्येक भाग में डाला और इस मैदान का हर कोना छान डाला और इस्लाम के समर्थन और मसीहियत और दूसरे धर्मों के खंडन में ऐसे-ऐसे ज़बरदस्त लेख लिखे कि इलमी दुनिया में एक हलचल मच गई। मसीह नासरी के चमत्कारों पर। आपके रुहानी असर पर। आपकी तालीम पर। आपकी सलीब की घटना पर। सलीब से बाद के हालात पर। आपकी हिंद की ओर आने पर और वफ़ात पर। आपके फ़र्ज़ी दावा ख़ुदाई पर। तस्लीस और कफ़्फ़ारा पर। ग़रज़ मसीहीयत के हर शोबा पर लेख लिखे गए और दूसरी तरफ़ इस्लाम की हक़ीक़त और आँहज़रत सल्लल्लाहो अलैहि वसल्लम की रिसालत और आपकी रुहानी ताक़त और आपकी कामयाबी और आपकी शिक्षा की महानता इत्यादि पर ज़बरदस्त बहसें की गईं और इसी तरह दूसरे धर्मों की शिक्षाओं पर भी लेख लिखे गए और पत्रिका ने अपने

आपको सही अर्थों में "रिव्यू आफ़ रेलीजिंज़" साबित कर दिया। चुनांचे इस रिसाला के बारे में ऑल इंडिया यंग मैन क्रिस्चन एसोसीएशन के सैक्रेट्री मिस्टर वॉकर ने लिखा कि :

"यह पत्रिका इस्म-बा-मुसम्मा (अर्थात जैसा नाम वैसा काम) है क्योंकि इस पत्रिका ने धर्मों के एक अत्यंत विस्तृत दाएरे को अपने काम में सम्मिलित किया है और धार्मिक लेखन के एक बड़े विशाल दायरे पर नज़र डाली है।" (पृष्ठ 112-115)

पृष्ठ 22 का शेष

आप लोगों ने तर्बीयत के लिहाज़ से इस चैलेंज को भी लेना है कि लड़कों में, छोटी उमर के अतफ़ाल जो हैं उनकी भी तर्बीयत ऐसे करें कि जब वे ख़ुद्दाम में संलग्न हों तो वहां से attach हों। इसी तरह बच्चियां जब नास्रात से लजना में आएं तो वे जमाअत से attach हों। यहां के माहौल का जो असर है, क्योंकि खुली तालीम दी जाती है और कुछ खुले प्रश्न किए जाते हैं। इस पर आप लोगों ने उनको खुल के उत्तर देने हैं। इस का तरीक़ा यही है कि आप एक survey करें और एक प्रश्नावलीपत्र बना कर भेजें। हर मज्लिस में जाए। और लड़कियों को कहें कि बेशक अपना नाम न लिखो और तुम्हारे ज़हन में किसी भी किस्म के जो प्रश्न दीन के बारे में हैं या दुनिया के बारे में हैं और दीन और दुनिया के अंतर के बारे में हैं या कुछ शुबहात हैं, वे बेशक ज़ाहिर कर दो। फिर लजना के level पर अलग forums पर उनके उत्तर देने की कोशिश करें। और यहां मुझे भेजें। यहां भी हम कोई प्रोग्राम बना सकते हैं। एम.टी.ए में भी इस के उत्तर दे सकते हैं। फिर आपके वहां एम.टी.ए स्टूडियो बन चुका है, वहां आप लोग एम.टी.ए के साथ coordinate कर के एक प्रोग्राम बना सकते हैं। और लजना एक प्रोग्राम बनाए और बग़ैर नाम लिए इन प्रश्नों के उत्तर दे कि आजकल ये ये issue उठते हैं या ये ये प्रश्न दुनिया में पैदा हो रहे हैं। उसकी वजह से हमारी कुछ बच्चियों के ज़हन भी pollute हो रहे हैं। उनके ज़हनों को हमने किस तरह साफ़ करना है। तो इस तरह के कुछ प्रश्न हैं कि आप खुल के एम.टी.ए पर discuss कर सकते हैं और कुछ हैं जो नहीं कर सकते, उनको personal level पर जा के उनके उत्तर देने पड़ेंगे। फिर कुछ बग़ैर नामों के प्रश्न आएँगे तो उनको इंटरनैट पर इस तरह रखें, कोई ऐसा forum बनाएँ जहां तर्बीयत के लिए ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें। तो आजकल इस ज़माना में ये बहुत बड़े चैलेंजेज़ हैं जो मीडीया ने, लोगों ने शुबहात पैदा करने के लिए डाल दिए हैं। फिर so-called तालीम के नाम पर अपने आपको ज़्यादा ही पढ़ी लिखी समझ के समझती हैं कि शायद इस्लाम की तालीम बड़ी backwards तालीम है। हालाँकि इस्लाम की तालीम से ज़्यादा इस ज़माना में किसी भी धर्म की कोई तालीम ऐसी नहीं हैं जो माडर्न हो और जो ज़माना के हिसाब से अपने आपको adjust करने वाली हो। (ज़हीर अहमद ख़ान, मुरब्बी सिलसिला, इंचार्ज विभाग रिकार्ड दफ़्तर पी.ऐस लंदन)

(धन्यवाद सहित अख़बार अल् फ़ज़ल इंटरनैशनल 5 मार्च 2021 ई.)

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (سورہ بنی اسرائیل، آیت 31)

LUCKY BATTERY CENTRE

BATTERY & DIGITAL INVERTER

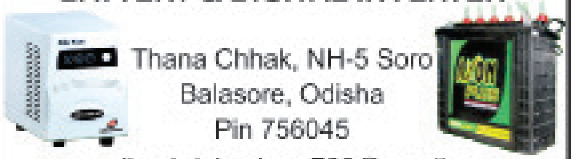

Thana Chhak, NH-5 Soro
Balasore, Odisha
Pin 756045
e-mail : abdul.zahoor786@gmail.com

Mob. : 09438352786, 06788221786

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا (سورہ بنی اسرائیل، آیت 31)

Prop.
Sk. Riyazuddin

Moblie: 9437188786
9556122405

KING TENT HOUSE

At. Ashram Chak, P.O. Soro, Distt. Balasore, ODISHA

يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (النحل ۱۱)

Prop : Sk. Ishaque

Phangudubabu : 7873776617
Papu : 9337336406
Lipu : 9778116653

FFT Fruits

FAIZAN FRUITS TRADERS

Near Railway Gate, Soro, Balasore, Odisha - 756045

PAPU LIPU ROAD WAYS
All India Truck Supplier
Papu : 9337336406, Lipu : 9437193658, 9778116653,

Sayed Wasim Ahmad

Mobile
09937238938

محبت سب کے لئے نفرت کسی سے نہیں

RUKSAR AGENCY

Pran Juice, Gandour Food Products,
Monginis Cake, Raja Biscuit etc.

Mubarakpur, At. Soro,
Distt. Balasore (Odisha)

REHAN'S

REHAN INTERNATIONAL

WE ARE ON

snapdeal flipkart.com
amazon.com Paytm

Ph: 7702857646
rehaninternational@gmail.com

We accept All Debit & Credit Cards

Urfan Ahmed Saigal
9550147334
deco.leathers@gmail.com

DECO DL LEATHERS

Genuine Quality
We Undertake Complimentary Orders Also
Manufacture

Address: 1/1/129, Alladin Complex 72, SD Road
Clock Tower, Beside Kamar, Hotel, Secunderabad-3

वह, जिस पे रात सितारे लिए उतरती है (5)

लेखक - आसिफ महमूद बासित साहिब **(भाग – 25)** अनुवादक – इब्नुल मेहदी लईक M.A.

persecution न्यूज़ में इस प्रोग्राम और इस में प्रकाशित होने वाली ग़लत आस्थाओं की निशानदेही की गई और उन शहादतों का ज़िक्र भी किया गया जो इस प्रोग्राम के नतीजा में वाक़्य हुई थीं। हमारी गुफ़्तगु का बहुत सा भाग जमात अहमदिया की आस्थाओं की ओर झुक गया और कई प्रोग्रामों में यह झुकाओ बरक़रार रहा। हुज़ूर अनवर के आदेस्ज पर एक ईमेल एकाऊंट बनाया गया जिसमें लोग जमात अहमदिया के अक़ाइद से मुताल्लिक़ अपने सवालात भेजने लगे। हम अगले प्रोग्राम में इन सवालात के जवाबात देते। हुज़ूर की इजाज़त से प्रोग्राम का दौरानिया भी बढ़ाना पड़ा और माहवार की बजाए उसे पंद्रह रोज़ा कर दिया गया ताकि दर्शकों को जवाब के लिए ज़्यादा इंतिज़ार न करना पड़े। मगर इस दौर में ये वक़्फ़ा भी बहुत ज़्यादा वक़्फ़ा था। हुज़ूर अनवर ने एक रोज़ आदेश दिया कि इस प्रोग्राम से न्यूज़ का लेबल उतार कर उसे एक अलग प्रोग्राम के तौर पर प्रकाशित किया जाए और नाम सिर्फ persecution कर लिया जाये। चूँकि अब सवालात दीनी नौईयत के होने लगे थे, लिहाज़ा हुज़ूर अनवर ने फ़रमाया कि अब प्रोग्राम में एक माहिर-ए-क़ानून और एक आलम दीन शामिल हो। इबतिदाई प्रोग्रामों में मौलाना अताउल मुजीब राशिद साहिब और मौलाना लईक अहमद ताहिर साहिब और साथ भी मुहतरम दाऊद ख़ान साहब और कभी कभी मशहूद इक़बाल साहिब शामिल होते रहे। यह प्रोग्राम रिकार्ड होता और फिर उसे कुछ रोज़ बाद प्रकाशित किया जाता। अब हुज़ूर की इजाज़त से प्रोग्राम में सवाल रिकार्ड करवाने के लिए एक टेलीफ़ोन नंबर भी दे दिया गया जहां लोग अपने सवाल रिकार्ड करवा देते और हम उन्हें सुनकर अगले प्रोग्राम की रिकार्डिंग में उनका जवाब पेश कर देते। इन रिकार्ड हो चुके सवालात और तबसरों को सुनना भी एक अलग कहानी थी। प्रोग्राम रिकार्ड शूदा होता। जिस रोज़ प्रकाशित होता उस रोज़ यह नंबर स्क्रीन पर दिखाया जाता और इस के अगले रोज़ विनीत टेलीफ़ोन पर रिकार्ड शुद यह सवालात सुनता। अगरचे अधिकता बौद्धिक सवालात की होती है, मगर बहुत से शरारती लोग ऐसी अभद्र बातें रिकार्ड करवाते कि सुनते होई होश उड़ जाते। ख़ैर, उनमें से सवालात लिए जाते और अगली रिकार्डिंग में उनका जवाब शामिल कर दिया जाता। धीरे-धीरे प्रोग्राम का नक़्शा बिलकुल परिवर्तित हो गया। सवालात इस कसरत से आते थे कि उनके उत्तर देने के लिए भी वक़्त काफ़ी न लगता कहाँ यह कि persecution की बात की जाए। हर प्रोग्राम हुज़ूर अनवर की ख़िदमत में बग़रज़ मुलाहिज़ा पेश होता और रहनुमाई की दरख़ास्त की जाती। हर-हर क़दम पर हुज़ूर अनवर मार्गदर्शन करते। काम करने वालों के लिए आदेश होते कि अमुक प्रश्न का उत्तर यूं ज़्यादा बेहतर था, यूं कहना चाहिए था और यूं नहीं कहना चाहिए था। यह आदेश काम करने वालों को पहुंचाई जाते। विनीत के लिए बतौर मेज़बान प्रोग्राम को बेहतर बनाने के लिए बहुत से निर्देश होते। मुझे एक लंबा अरसा यह गुमान रहा कि हुज़ूर मुकम्मल प्रोग्राम मुलाहिज़ा फ़रमाते हैं। मगर किस वक़्त? ये

समझ नहीं आती थी। फिर एक रोज़ हुज़ूर अनवर ने बता कर आश्चर्य में डाल दिया कि हुज़ूर कभी कहीं किसी मौक़ा पर संयोगवश कुछ पलों के लिए प्रोग्राम देखते हैं। ख़ुदा के चयनित ख़लीफ़ा के ऐसे पल भी कैसे चयनित होते हैं कि वहां वो बात नज़र आ जाए जो इस्लाह तलब है और जहां जमाअत की नुमाइंदगी बेहतर रंग में हो सकती है।

एक दिन हुज़ूर ने फ़रमाया कि "तुम लोग ये प्रोग्राम कितने takes में करते हो?"

अर्ज़ की कि हुज़ूर सामान्य रूप से रुकना नहीं पड़ता। कहीं किसी को खांसी आ जाए या कोई टेक्निकल कठिनाई प्रस्तुत आ जाए तो रुक जाते हैं अन्यथा प्रोग्राम तेज़ी से एक ही टेक में रिकार्ड हो जाता है। फ़रमाया कि "अगला प्रोग्राम सिर्फ एक take में रिकार्ड करना है"

आदेशानुसार सब को बता दिया गया कि रिकार्डिंग के समय कहीं रुकना नहीं है, अत: सारे प्रबंध पहले देख लिए जाए। अगली मुलाक़ात में कहा कि हुज़ूर, प्रोग्राम एक टेक में तेज़ी के साथ रेकॉर्ड हो गया था। फरमाया: "अगला भी इसी प्रकार करना है।" आदेशानुसार ऐसा ही किया गया। जब तीसरी बार कहा कि हुज़ूर कल रात भी प्रोग्राम एक ही टेक में रिकॉर्ड हुआ है तो फरमाया: "फिर प्रोग्राम लाईव क्यों नहीं करते?"

क्योंकि हम तो ऐसी किसी संभावना को अविश्वसनीय समझ बैठे थे, अत: ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ तक कि जब हुज़ूर ने तीन बार प्रोग्राम को एक टेक में रेकॉर्ड करने का आदेश दिया तब भी दिमाग इस ओर नहीं गया कि यह हमें हुज़ूर लाईव प्रोग्राम की तैयारी करवा रहे हैं।

तुरंत कहा कि जी हुज़ूर, अगला प्रोग्राम लाईव कर लेते हैं। फरमाया: "नहीं। अगले हफ़्ते के दिन तो नेशनल इज्तेमा हो रहे हैं। लोग इस में व्यस्त होंगे। लाईव प्रोग्राम के लिए तो तुम्हें मज़बूत टीम चाहिए। इज्तेमा हो जाएँ फिर टीम बना कर प्रोग्राम आरंभ करो।"

★ ★ ★

LIYAKAT ALI
Ph. 9899221402
9899221457
FENLEYROSH
Fenley Rosh Healthcare Pvt. Ltd.
Frequentideas Group City Quay
Liverpool L3 4fD United Kingdom
c-5/1015.2ndfloor,
opposite CISF Group Center
New Vasant Kunj, Road, New Delhi-37
011-3231790
www.fenleyrosh.com | info@fenleyroshhealthcare.com

सामान्य ज्ञान/ जनरल नॉलेज

यूं तो दुनिया में 200 से अधिक देश हैं लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ (United Nations) के अनुसार World में कुल 195 देश हैं किस महाद्वीप में कितने देश हैं?

एशिया (Asia) क्षेत्र-फल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है लेकिन देशों की संख्या अफ्रीका (Africa) महाद्वीप में सबसे ज्यादा है. अंटार्टिका पूरी तरह से बर्फ़ में ढका हुआ होने की वजह से उस पर कोई भी देश नहीं है. सभी महाद्वीपों में देशों की संख्या इस प्रकार है.

एशिया महाद्वीप में कुल 48 Countries हैं.

अफ्रीका महाद्वीप में कुल 54 Countries हैं.

यूरोप में 44 कंट्रीज हैं.

नार्थ अमेरिका (North America) में कुल 23 कन्ट्रीज हैं.

साउथ अमेरिका (South America) में 12 कन्ट्रीज हैं.

ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने आप में एक देश है.

Q. IQ का मतलब क्या होता है?

Ans: Intelligent Quotient (बुद्दिमता मापने का मानक)

Q. धरती की सबसे ठंडी जगह कौनसी है?

Ans: अंटार्टिका महाद्वीप

Q. दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौनसी है? यह कहाँ स्थित है?

Ans: माउंट एवेरेस्ट, नेपाल

Q. हम सांस लेते समय और छोड़ते समय कौनसी गैस छोड़ते हैं?

Ans: हम ऑक्सीजन सांस के रूप में लेते हैं और कार्बन डाई ऑक्साइड छोड़ते हैं.

Q. दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौनसा है?

Ans: चीन

Q. गिज़ा के पिरामिड किस देश में स्थित हैं?

Ans: मिश्र में

Q. दुनिया का सबसे घना जंगल कौनसा है?

Ans: अमेज़न का जंगल

Q. किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है?

Ans: मंगल

Q. मंगल, बुध और शुक्र में से सबसे छोटा ग्रह कौनसा है? Ans: बुध ग्रह (जानिए बुध ग्रह के बारे में)

★ ★ ★

Sayed K. A. Rihan, M.B.A.
Proprietor
Tel: 9035494123/9740190123

B.M.S.ENTERPRISES

INDUSTRIAL UTILITY SOLUTIONS

21, Erannappa Layout Ambadkar Main Road,
Mahadevapura, Bangalore - 560 048
E-mail: bmsentrprises@gmail.com

Mob. 9934765081

Guddu Book Store

All type of books N.C.E.R.T, C.B.S.E & C.C.E are available here. Also available books for childrens & supply retail and wholesale for schools

Urdu Chowk, Tarapur, Munger, Bihar 813221

NASIR MAHMOOD
Ph. : 9330538771
7686979536

MANUFACTURER and WHOLE SELLER

Leather Wallats, Jackets, Ladies Bag, Port Folio Bag, Key Chain, Belts etc.

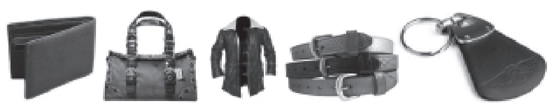

70D Tiljala Road, Kolkata - 700046
e-mail : nasirmahmood.125@gmail.com

LOVE FOR ALL HATRED FOR NONE

Cell
9423805546 / 9960071753
9420399786 / 2363271443

Prop.
Hameed Khan Beejali

Creative Computers

Durwankur, Appt. 05, Old, Shiroda Naka,
Tal. Sawantwadi, Distt. Sindhudurg, Maharashtra - 416510

Ziyafat Khan
Mobile
09937845993

Love For All Hatred For None

दुआओं का आवेदक

WASIMA STONE CRUSHER

Pankal, Near Nuapatna Town,
Distt. Cuttack (Odisha)

ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا

Mob. : 09986670102
09036915406

Prop.
Fazal-e-Haq
Eajaz-ul-Haq
Anwar-ul-Haq
Rizwan-ulHaq

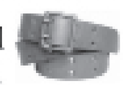

Al-Fazal Garments

Specialist in : School Uniform, Tai, Belt, Jeans, T-Shirts, Shirts etc.

Opp. Krishna Gramina Bank, Beside Sana Medical,
Main Road, Yadgir, Karnataka

पत्रिका के बारे में कृपया अपनी राय (Feedback) अवश्य दें

प्रिय पाठको! धार्मिक भेद-भाव तथा धर्मों के बीच पनप रही नफरत के वर्तमान परिदृश्य में पत्रिका "**राहे ईमान**" के द्वारा हम निरंतर इस्लाम की वास्तविक तथा मौलिक शिक्षाओं से आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस पत्रिका को पढ़कर आपको कैसा लगा, हमारे संपादकीय मंडल की ओर से जो लेख इस पत्रिका में प्रकाशित किए जाते हैं उनके प्रति आपकी क्या राय है? यह हमें अवश्य बताएं। आपका **फ़ीडबैक (प्रतिक्रिया)** इस पत्रिका को लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक बनाने में हमारी सहायता करेगा।

यदि आपके पास कोई ऐसा सुझाव हो जो इस पत्रिका को और भी बेहतर बना सकता है तो खुद्दामुल अहमदिया भारत (जमाअत के अंतर्गत नौजवानों की संस्था) आपके सुझाव का स्वागत करती है। हमारा इस पत्रिका को बेहतर से बेहतर तथा ज्ञान वर्धक एवं ईमान वर्धक बनाने का प्रयास निरन्तर जारी है। इसके अतिरिक्त भी यदि पत्रिका से संबंधित और भी कोई सुझाव या परामर्श आप हमें देना चाहते हैं तो उसका हृदय से स्वागत है।

आप अपना फ़ीडबैक हमें मज्लिस खुद्दामुल अहमदिया भारत की ईमेल आईडी पर भिजवा सकते हैं और एडिटर या मैनेजर को फोन भी कर सकते हैं :-

Email id- khuddam@qadian.in
Manager- 98156-39670, Editor- 91150-40806

ख़ुद्दाम के लिए रमज़ान का तोहफ़ा
रमज़ानुल-मुबारक 2023 (बहुत बहुत मुबारक)

सय्यदना हज़रत अमीरुल-मोमनीन ख़लीफ़तुल मसीह खामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ ने ख़ुद्दामुल अहमदिया भारत के नाम पैग़ाम में फ़रमाया:। याद रखें कि आप सब अहमदी ख़ुदाम हैं। आप अपने इजलासों और इजतिमाओं के मौक़ा पर ये अह्द दोहराते हैं कि दीन (धर्म) को दुनिया पर मुक़द्दम रखेंगे। इस के लिए हर एक को क़ुरआन-ए-करीम की बाक़ायदगी से तिलावत को यक़ीनी बनाना चाहिए क्योंकि ये वो रूहानी नूर है जो हमें हक़ीक़ी तौर पर दीन को दुनिया पर मुक़द्दम करना सिखाता है। क़ुरआन-ए-करीम ने हमें ये बताया है कि कामयाब मोमिन ख़ुशू-ओ-ख़ुज़ू (ध्यान और तल्लीनता) के साथ नमाज़ें अदा करते हैं। इसलिए आप में से हर एक को पाँच वक़्त नमाज़ को ज़िंदगी का मुख्य उसूल बनाना चाहिए और जिस हद तक मुम्किन हो नमाज़ बाजमाअत अदा करनी चाहिए। क्योंकि बाजमाअत नमाज़ का सवाब अपनी अलग नमाज़ पढ़ने से ज़्यादा है। बाजमाअत नमाज़ वहदत-ओ-यगानगत का ज़रीया बन जाती है। और जमात मोमिनीन की इजतिमाईयत और क़ुव्वत को ज़ाहिर करती है। **रमज़ान उल-मुबारक की आमद आमद है। हर अहमदी मुसलमान को चाहिए कि वो अपने प्यारे इमाम के इस रुहानी तोहफ़ा से भरपूर रंग में फ़ायदा उठाए। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए आमीन।**

(नज़ारत इस्लाह वारशाद तालीम उल-क़ुरआन-ओ-वक़्फ़ आरिज़ी)